CARA

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

Central Adoption Resource Authority

वार्षिक रिपोर्ट 2016–2017

Annual Report 2016-2017

Ministry of Women & Child Development

Government of India

www.cara.nic.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2016–2017

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

विषय सूची_

माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, का संदेश i

माननीय राज्य मंत्री, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, का संदेश ii

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित iii

सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कारा) के द्वारा अभिस्वीकृति iv

अध्याय : 1 भूमिका 1

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 1

1.2 कारा की संचालन समिति 2

1.3 कारा की सलाहकार समिति 5

1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) 6

1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) 6

1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) 6

1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) 6

1.8 केंद्रीय प्राधिकरण एवं विदेशों में भारतीय मिशन 7

अध्याय : 2 गतिविधियां 8

2.1 किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 हेतू अधिसूचना 8

2.2 दत्तक विनियमन, 2017 हेतू अधिसूचना 8

2.3 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) 14

2.4 प्रशिक्षण और विकास 15

2.5 अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन 23

2.6 मीडिया और पब्लिसिटी 24

2.7 निरीक्षण और निगरानी 25

2.8 महत्वपूर्ण परिपत्र और हिदायतें 25

2.9 अन्य पहल, मुख्य उपलब्धियां और सराहानायें 25

अध्याय : 3 वैधानिक अनुपालन 27

3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी गई जानकारी 27

अध्याय : 4 आंकड़ा आधार 28

4.1 दत्तक ग्रहण डाटा (समेकित) 28

4.2 राज्य–वार–दत्तक ग्रहण (देशीय और अंर्तदेशीय) 28

4.3 देश–वार–दत्तक ग्रहण डाटा (भारतीय बच्चों के लिए अंर्तदेशीय दत्तक ग्रहण) 28

अध्याय : 5 अनुलग्नक 29

5.1 परिशिष्ट –क : राज्य वार दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) 29

5.2 परिशिष्ट –ख : राज्य वार जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण 37

5.3 परिशिष्ट –ग : विभिन्न हितधारकों हेतू केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र और हिदायतों की प्रति 38

अध्याय : 6 2016–2017 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े 44

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण जो अब एक वैधानिक निकाय है की वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बहुत खुशी हो रही है ।

दत्तक विनियमन, 2017 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है और जिसे 04 जनवरी 2017 को बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और जिसे देश में दिनांक 16 जनवरी, 2017 से लागू किया गया है ।

एक स्वायत्त निकाय के रूप में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए दत्तक ग्रहण के माध्यम से उन्हें स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है । देशीय दत्तक ग्रहण, अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना इस संगठन के लिए अनिवार्य है और अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग की हेग कन्वेंशन के तहत कार्य करता है । केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित विभिन्न माध्यमों से दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है । इसने दो पुरस्कार जीते हैं, अर्थात स्कोच प्लेटिनम अवार्ड और स्कोच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड कार्यक्रमों और सेवाओं के वितरण के उत्कृष्ट और कुशल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और शासन के मॉडल को भी मान्यता प्रदान की गई ।

जबकि, वर्ष के दौरान हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है । प्रणाली में दत्तक ग्रहण के लिए आने वाले बच्चों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । हमारे पास काफी सारे स्पेशल नीड्स बच्चे और बड़े बच्चे हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल करने वाले परिवार में रखा जाना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 'हार्ड टू प्लेस' वाले बच्चों को जगह देने के लिए केयरिंग्स पर एक तत्काल प्लेसमेंट मॉड्यूल भी प्रस्तुत किया है और हमने सफलतापूर्वक कई ऐसे बच्चों का दत्तक ग्रहण भी किया है ।

हम आगे आने वाले वर्षों में इस प्रणाली में सुधार कर उसे और बेहतर बनाने हेतु दत्तक ग्रहण बच्चों के पूल में वृद्धि कर प्रक्रिया को सरल बनाने और समय रेखा का पालन करने की आशा करते हैं । अंत में, मैं सभी हितधारकों हेतु बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखने की जरूरत पर जोर देना चाहती हूं ।

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

Off. : 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel. : 23074052-54, Fax : 23387384
Resi. : 14 Ashoka Road, New Delhi-110001, Tel. : 23357088, Fax : 23354321

सत्यमेव जयते

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
Dr. VIRENDRA KUMAR

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास और
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
AND MINORITY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक: 08.12.2017

संदेश

मुझे यह प्रसन्नता है कि केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण ने 2016-2017 वर्ष हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें इसके द्वारा किये गये प्रमुख गतिविधियों और पहलों को उजागर किया गया है। केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वैधानिक निकाय के रूप में15 जनवरी, 2016 से लागू होने वाले बाल न्याय (बाल संरक्षण और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत नामित किया गया है। केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण के लिए देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना व अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को सुविधाजनक बनाना और नियंत्रित करना अनिवार्य है। केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को दत्तक-ग्रहण से संबंधित मामलों में समय-समय पर विनियमनों का निर्माण करना भी अनिवार्य है।

इस संबंध में, वर्ष 2016-17 के दौरान, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 तैयार किया था जिसे भारत सरकार के द्वारा 04/01/2017 को अधिसूचित कर दिनांक 16/01/2017 से लागू किया गया था। दत्तक ग्रहण नियमों के निर्धारण के अतिरिक्त, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को देशीय दत्तक ग्रहण, बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देना, दत्तक-ग्रहण कानून, नियम और अधिनियम, राज्य सरकार के साथ समन्वय, विभिन्न न्यायालयों, सीडब्ल्यूसी, राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरणों आदि को बाल संरक्षण, पुनर्वास के लिए शीघ्र और समय समय पर हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान की है।

मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को "स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड, 2016" से सम्मानित किया गया है व यह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सरकारी संगठन के रूप में सराहना का पात्र है ।

मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण आने वाले वर्षों में अपना काम अच्छे से जारी रखेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

कार्यालय : कमरा नं. 756, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23382361–63, फैक्स : 23070704
Off. : Room No. 756, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, **Tel. :** 011-23382361-63, Fax. : 011-23070704
निवास : 22, महादेव रोड, नई दिल्ली, दूरभाष : 011-23355600, 23359855
Resi. : 22 Mahadev Road, New Delhi-110001, **Tel. :** 011- 23355600, 23359855

राकेश श्रीवास्तव
सचिव
Rakesh Srivastava
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Website : http://www.wcd.nic.in

प्रस्तावना

वर्ष 2016–2017 हेतू केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दत्तक-ग्रहण के एक नोडल निकाय के रूप में, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का कार्य देशीय दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना, राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर अंतराजीय दत्तक-ग्रहण की सुविधा देना, अतंर्देशीय दत्तक-ग्रहण को विनियमित करना और समय-समय पर दत्तक-ग्रहणसे संबंधित विनियमनों का निर्माण करना है। पूरे वर्ष के दौरान, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने अपने अधिदेश को हासिल करने के लिए ईमानदारी से काम किया है और सभी अपनाने योग्य बच्चों के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम करते हुए पिछले वर्षों की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इस वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के साथ कई निरीक्षण और संचार किए गए ताकि केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अधिदेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बाल सरंक्षण एकक और राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों के सहयोग से, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण करने हेतू प्रशिक्षण का आयोजन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप से आगे बढ़कर बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों को जारी रखेगा और इस प्रकार हमारे अधिदेश का निरंतर निर्वहन करेगा।

(राकेश श्रीवास्तव)
सचिव, म०बा०वि०
अध्यक्ष, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383586 Fax : 011-23381495 E-mail : secy.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

Deepak Kumar
Chief Executive Officer

CARA

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

अभिस्वीकृति

वर्ष 2016–2017 हेतू केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति के अवसर पर, मैं सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की ओर से और अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी हितधारकों का धन्यवाद करता हूं।

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण मजबूत, पारदर्शी और वादा संचालित करने वाला बन गया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को संस्थानों में कम समय बिताना पड़े हैं और दत्तक अभिभावकों को कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने की चिंता कम हो। यह सब राज्य दत्तक–ग्रहण अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक, सीडब्ल्यूसी, एएफएए, सारा, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसी, आरपीओ, न्यायालयों और माता–पिता के सहयोग की वजह से ही संभव हो रहा, जो हमें बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

एक सांविधिक निकाय बनने के बाद, हमारे कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, हम कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आज, हमारे पास अधिक अभिभावक पंजीकृत हैं और जो कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के दत्तक–ग्रहण हेतू प्रतीक्षा कर रहे है। जबकि, हम इस मुद्दे को हल करने हेतू सीसीआई जो एसएए के साथ जोड़ने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 01 जुलाई 2016 को केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में एक परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध उच्च्य योग्य परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य और जिला स्तर पर इस सुविधा का विस्तार करने के लिए केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण योजना बना रही है।

केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण मीडिया और ट्रेनिंग में अपनी बढ़ती उपस्थिति के माध्यम से अनौपचारिक दत्तक–ग्रहण की चुनौती को अवरूद्ध करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। इस वर्ष के दौरान 'हार्ड टू प्लेस' बच्चों के लिए तत्काल नियुक्ति मॉड्यूल भी शुरू किए गए हैं जिसके माध्यम से बड़े बच्चे और ऐसे बच्चे जिनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी को भी अच्छे परिवारों में जगह दिलावाई जा चुकी है। केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यह भी घोषणा करना चाहेगा कि इन प्रयासों को दो पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। हम इन सभी पुरस्कारों हेतू अपने सभी कर्मचारियों व हितधारकों का धन्यवाद करते है। दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए हम एक ही भावना में काम करना जारी रखने की उम्मीद करते हैं।

दीपक कुमार

सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

West Block-8, Wing-IV, Ist Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066. Phone : 011-2610 6725, Fax: 011-2618 0198. Mobile : 8588868739
E-mail: deepakkumar.668m@gov.in, captdkumar@gmail.com, Website: www.cara.nic.in

परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक ग्रहण विनियमन
एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंर्तदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण)
सीएआरए	:	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
सीसी	:	पुष्टि प्रमाण पत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण एकक
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण योजना
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	:	सूचना शिक्षा और संप्रेषण
जे जे एक्ट	:	किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015
जे जे नियम	:	किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएएस	:	अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित
ओसीआई	:	भारत के विदेशी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता पिता
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
एसएआरए	:	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
एसएनसी	:	विशेष जरुरतों वाले बालक

अध्याय : 1

भूमिका

माननीय मंत्री, समाज कल्याण, मेघालय सरकार श्रीमती मेनका संजय गांधी, केंद्रीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी का दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को शिलांग, (मेघालय) में बाल दत्तक ग्रहण पर पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान स्वागत करते हुये।

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना एल.के.पाण्डे बनाम भारत सरकार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर त्तकालीन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 1990 में की। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक विधिक संस्था के रुप पंजीकृत किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के त्तवाधान में भारत सरकार का एक स्वायत निकाय बना। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत दिनांक 15 जनवरी, 2016 से वैधानिक निकाय के रुप में नामांकित किया जाता है। वर्ष 2003 से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को बालक संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के अंतर्गत एक केंद्रीय प्राधिकरण के रुप में नामनिर्दिष्ट किया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी

श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय केंद्रीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी पूर्वोक्त कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

अधिकारी की अध्यक्षता केन्द्रीय प्राधिकरण के रुप में नामनिर्दिष्ट किया गया हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में है और जिसके पास 27 अधिकारियों और कर्मचारियों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या है।

1.1.2. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतू अधिदेश दिया गया है–

क) देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित बनाना;

ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित बनाना;

ग) दत्तक ग्रहण और उससे संबंधित मामलों मे समय समय पर आवश्यक विनियमन बनाना;

घ) बालक संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रुप में कार्य करना ;

ड) अन्य कार्य दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियमन 37 के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए है;

1.1.3. **कारा का उद्देश्य** – बच्चों में सर्वोत्तम रुचि को सुनिश्चित करना; नागरिककेंद्रक दृष्टिकोण से भावी दत्तक माता पिता द्वारा सक्षम निर्णय लेना, ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), बच्चा आरक्षित करना और मिलान व पारदर्शिता हेतू ऑफलाइन मिलान को समाप्त करना। नया बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपयोग किया जा रहा है और ई–शासन के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को भी कम करता है।

1.1.4. **कारा का दृष्टिकोण** – देश में प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित बच्चे के लिए पालन–पोषण एवं देखभाल करने वाले परिवार की तलाश करना। कारा का मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चो के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के क्रियाकलापों में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता पिता को सुविधायें प्रदान करना है।

1.2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति

1.2.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के अंतर्गत व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 22/3/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. – सीडब्ल्यू–11/26/7/2015–सीडब्ल्यू.।। से 15/01/20176 तक दो वर्षों के कार्यकाल हेतू निर्धारित किया गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति की संरचना निम्नलिखित है–

(क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष – पदेन;

(ख) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण के साथ का कार्य कर रहे है– पदेन;

(ग) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त के साथ का कार्य कर रहे है– पदेन;

(घ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का एक सदस्य;

(ड) विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से दो सदस्य;

(च) एक दत्तक माता–पिता;

(छ) एक दत्तक;

(ज) एक वकील या प्रोफेसर जिसे परिवार कानून के बारे में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(झ) सदस्य सचिव, जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगें।

1.2.2 अध्यक्ष और सदस्यों के नाम कार्यकाल निम्नानुसार है–

क्रम. सं.	नाम और पद का विवरण	पद
1	श्री.वी.सोमासुंदरन सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 601, छठी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (05/06/2015 से 31/05/2016 तक की अवधि) सुश्री लीना नायर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 601, छठी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (01/06/2016 से 11/05/2017 तक की अवधि)	अध्यक्ष (पदेन)
2	सुश्री रश्मि सक्सेना साहनी संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001	सदस्य (पदेन)
3	सुश्री सरिता मित्तल संयुक्त सचिव और वित्तीय परामर्शदाता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001	सदस्य (पदेन)
4	श्री जी.आर. शिंदे संयुक्त आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, दूसरी मंजिल, 28 प्रिंस गार्डन, कोरेगांव पार्क रोड, पुराने सर्किट हाउस के पास, पुणे, महाराष्ट्र –411001 {राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए), महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है} (23/11/2015 से 23/11/2016 तक की अवधि) श्री लाहूराज माली आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, दूसरी मंजिल, 28 प्रिंस गार्डन, कोरेगांव पार्क रोड, पुराने सर्किट हाउस के पास, पुणे, महाराष्ट्र –411001 {राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए), महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है} (03/01/2017 से आज तक की अवधि)	सदस्य

5	सुश्री विजीन्द्रा बॉई निदेशक, महिला विकास एवं बाल कल्याण, तेलंगाना सरकार, डी.नं.8–3–222, वेंगल रॉव नगर, अमीरपेट, राज्य होम कैम्पस, यूसुफगुडा रोड, हैदराबाद, तेलंगाना–599938 (शिशु ग्रिह विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि डब्ल्यूसीडी विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जाता है)	सदस्य
6	सुश्री गीताश्री अधिकारी करुणा डब्ल्यूबी महिला एवं बाल कल्याण सोसाइटी, 234, श्री राम डांग रोड, साईकिया, हावंडा, पश्चिम बंगाल– 711106 (विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)	सदस्य
7	श्री अविनाश कुमार ओ–51, निवेदिता कुंज, सैक्टर–10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (दत्तक माता–पिता)	सदस्य
8	सुश्री समीहा ग्ररेवाल जे–231, प्रथम मंजिल, साकेत, नई दिल्ली–110017 (दत्तक)	सदस्य
9	सुश्री किरण सिंह 201–ए, डैल ब्लाक, 1/2 वैभव खंड, इंदिरा पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (वकील)	सदस्य
10	श्री वीरेंद्र मिश्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लाक–8, विंग –2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (26/09/2014 से 03/07/2016 तक की अवधि) श्री दीपक कुमार सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लाक–8, विंग –2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (11/07/2016 से आज तक की अवधि)	सदस्य सचिव (पदेन)

1.3 कारा की सलाहाकार समिति

1.3.1 दिनांक 23/02/2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण के कारणों को बढ़ावा देने हेतू समिति के गठन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि हेतू सलाहाकार समिति का गठन किया। कारा की सलाहकार समिति में वर्तमान में 16 सदस्य है जिसमें हमारे अध्यक्ष और सदस्य सचिव भी शामिल है।

1.3.2 अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और उनके कार्यकाल का ब्यौरा इस प्रकार है–

कम.सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	श्री रामाचंद्र रेड्डी हैदराबाद, तेलंगाना	अध्यक्ष	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
2	श्री दुर्गेश केशवानी भोपाल, मध्यप्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
3	श्रीमती सुभला नागवी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
4	श्रीमती पदमा श्रीनिवासन बैंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
5	श्री राजीव कुमार बुदौन, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
6	डॉ नीलिमा मेहता मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
7	प्रोफेसर जयदेव मजूमदार कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
8	सुश्री एनी मंगस्तबम इंफाल, मणिपुर	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
9	श्री शिवानंद एम.डम्बल बैंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
10	श्रीमती आर.के.प्रमोद्विनी देवी इंफाल (पश्चिम) मणिपुर	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
11	श्री मनोज सिंघल चिंत्ररंजन पार्क, नई दिल्ली	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
12	श्रीमती सुषमा खरवाल लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
13	सुश्री दीपा विजय भंडारी बेलगांव, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
14	श्री के. वासू बाबू गोदावरी (पू), आंध्र प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
15	श्री नितिन भार्गव लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
16	श्रीमती सत्या शर्मा न्यू उस्मानपूर, दिल्ली	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
17	प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण	सदस्य सचिव	12/04/2016 से 11/04/2018 तक

1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सारा)

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एजेंसी (सारा) को राज्य में बालकों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। यह भी आशा की जाती है कि सारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में समन्वय, निगरानी और उसका विकास करने, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की स्थापना मे सहायता करने, ऐसे अभिकरणों की एक व्यापक सूची का रख रखाव करने, यह सुनिश्चित करने कि बालक के सभी दत्तक ग्रहण/स्थायी स्थापन विधि और दत्तक ग्रहण विनियम के अनुसार हों, जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की सहायता से दत्तक ग्रहण योग्य बालकों को एक केंद्रीयकृत वेब आधारित डाटाबेस का रखरखाव करने, बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के साथ एसएए के कार्य का पर्यवेक्षण करने तथा अभिकरणों और सीसीआई के बीच समन्वय सुनिश्चित के लिए एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्रीय संसाधन के रुप में कार्य करेगा। सारा को दत्तक ग्रहण पूर्व तथा दत्तक ग्रहण स्तर, दोनों के दौरान दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब का समाधान करने के प्रयास करने है। ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट–क पर है। सारा को एसएएका नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा और इसके साथ जैसे ही ऐसे अभिकरणों को मान्यता अथवा नवीकरण प्रदान किया जाए तो उसके पत्र और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू)

1.5.1 डीसीपीयू समेकित बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस के अंतर्गत स्थापित एक जिला बाल संरक्षण अभिकरण है। इसका काम जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और उन्हें एसएए अथवा सीसीआई की सहायता से बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतू जहॉ कही आवश्यक हो, कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर एसएए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट ओर चिकित्सा जांच रिपोर्ट बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली पर अपलोड कर दी गई हो दत्तक ग्रहण को सुचारु बनाने के लिए उसी अथवा अन्य जिलों में एसएए के साथ बाल देखभाल संस्थान से संपर्क में सहायता करना; ओर प्रत्येक दत्तक ग्रहण बच्चे की प्रगति का अद्यतन करना।

1.5.2 इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षित है कि जहां कहीं आवश्यकता हो, वह सीडब्ल्यूसी की बहाली के प्रयासों और समाचार–पत्र में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से बहाली के प्रयासों और समाचार–पत्र में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परीवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और एसएए की सहायता से पुलिस से गुमशुदा रिपोर्ट प्राप्त करने में सहायता करेगा।

1.5.3 जहां तक दत्तक ग्रहण का संबंध है, यह गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने तथा विभिन्न स्तर पर हुए विलंब को दूर करने सहित जमीनी स्तर पर सभी सहायता देने के लिए 'सारा' और 'कारा' के साथ संबंधित है।

1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)

1.6.1 किशोर न्याय (बाल संरक्षण एंव देखभाल) अधिनियिम, 2015 की धारा 65(1) के अनुसार राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर –संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के पुर्नावास के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा निर्दिष्ट रीति से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रुप में प्रत्येक जिले में एक अथवा अधिक संस्थाओं या संगठनों को मान्यता देगी।

1.6.2 एसएए की देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होना। एसएए की दत्तक ग्रहण वाले बालक और पीएपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दत्तक ग्रहण वाले प्रत्येक बालक के आनॅलाइन डाटाबेस का रख–रखाव करता है। यह पीएपी की गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तक ग्रहण मार्गदर्शक सिद्धांत 2015 में `यथानिर्दिष्ट तरीके से तैयारी की जाती है। वर्तमान में, दत्तक ग्रहण देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में बालकों को रखने हेतू, उनके संबंधित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी' और गैर–सरकारी, दोनों प्रकार के अभिकरण है। ऐसे अभिकरणों की राज्य वार संख्या परिशिष्ट –ख में दी गई है।

1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

कारा विदेशों में रह रहे पीएपी जिनमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई), प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई), एवं विदेशी शामिल हैं, के आवेदनों को प्रयोजित करने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। ये अभिकरण अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामलों को तैयार करने हेतु प्राप्तकर्ता देशों में प्रत्यायन अभिकरणों के

रुप में जाने जाते है (हेग अभिसमय में यथा परिभाषित)। एएफएए को भारत से बाल दत्तक ग्रहण के इच्छुक पीएपी को पंजीकृत करना और उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को जल्दी से पूरा करना; प्राधिकरण से दत्तक ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के बाद शीघ्र दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करने हेतू एसएए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और दत्तक ग्रहण मार्गदर्शन सिद्धांत 2017 में उनके लिए यथा अधिसूचित अन्य कार्यकलाप करना सम्पादित करना होता है।

1.8 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और विदेश में भारतीय मिशन–

हेग अनुसमर्थित कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण, कारा के समकक्ष भारत से दत्तक–ग्रहण के इच्छुक पीएपी के मामलों को प्रायोजित करते हैं। कुछ गैर–हेग अनुसमर्थित देशों में भारतीय मिशन एनआरआई और ओसीआई द्वारा देश से दत्तक ग्रहण करने के मामलों को प्रायोजित करने में लगे हुए है।

अध्याय : 2

गतिविधियां

2.1 'किशोर न्याय (बाल देखभाल व सरंक्षण) मॉडल नियम, 2016' की अधिसूचना

2.1.1 भारत सरकार ने दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को 'किशोर न्याय (बाल देखभाल व सरंक्षण) मॉडल नियम, 2016' को अधिसूचित किया। **नियम 19** दत्तक ग्रहण बच्चों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में है, जबकि, **नियम 20** डीएम के पक्ष से सीडब्ल्यूसी के समक्ष लंबित मामलों की निगरानी के बारे में है। नियमों के **अध्याय VII** में दत्तक ग्रहण संबंधित रिर्पोटिंग गैर दत्तक ग्रहणीय बच्चों की पालन पोषण संबंधी देखभाल, कारा की अतिरिक्त गतिविधियां, कारा की संचालन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के नियम व शर्तें, कारा की संचालन समिति द्वारा कार्य का अंतरण, कारा द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा के प्रस्तुतीकरण की समय–सीमा तथा उक्त को सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना, न्यायालय के समक्ष कार्रवाई, आवेदनों के निपटान की अवधि, बाल देखभाल संस्थानों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों से जोड़ने का प्रावधान है। इस नियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए उचित संरक्षण प्रक्रिया है तथा देश में सापेक्ष (रिलेटिव) दत्तक ग्रहण समेत सभी दत्तक ग्रहण की रिपोर्टिंग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, नियम के तहत सभी दत्तक ग्रहण को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(3) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017, उक्त नियम के तहत दत्तक ग्रहण हेतु दिए गए अतिरिक्त नियमों एवं दस्तावेज़ीकरण के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। कारा न केवल दत्तक ग्रहण संबंधित प्रावधानों पर नियमों हेतु इनपुट प्रदान करता है बल्कि जे.जे. अधिनियम, 2016 के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा घटित आलेखन समिति हेतु सचिवीय/तार्किक सहायता भी प्रदान करता है।

2.2 'दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017' की अधिसचूना

2.2.1 दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04 जनवरी, 2017 को निर्मित किया गया है तथा किशोर न्याय (बाल देखभाल व सरंक्षण, 2015) की धारा 68 (ग) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा 16 जनवरी, 2017 से देश में प्रभावी हुआ और इसने दत्तक ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 का स्थान लिया है। दत्तक ग्रहण विनियमन का निर्माण कारा एवं अन्य हितधारकों समेत दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों एवं भावी दत्तक माता–पिता के सामने आने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित करके देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता, बच्चों का पूर्व असंस्थानीकरण, माता–पिता के लिए सूचित विकल्प, नैतिक प्रयास एवं सख्त निर्धारित समयसीमा दत्तक ग्रहण विनियमनों के मुख्य पहलू है। दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को नीचे विस्तार से दिया गया हैः

(क) देश तथा विदेश में रिश्तेदारों द्वारा दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया को इस विनियमन में परिभाषित किया गया है।

(ख) सौतेले बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया।

(ग) गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता को बढ़ाकर दो से तीन वर्ष किया गया है।

(घ) घरेलू भावी दत्तक ग्रहण माता–पिता हेतु सुपुर्द किए गए बच्चे को रिज़र्व करने के बाद मिलान एवं स्वीकृति हेतु उपलब्ध समय अवधि को मौजूदा 15 दिन से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है।

(ङ) जिला बाल संरक्षण एकक अनुभवी योग्यता प्राप्त या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल बनाएगा।

(च) विनियमन में 32 अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें न्यायालय में दर्ज किए जाने वाले मॉडल दत्तक ग्रहण आवेदन शामिल है तथा इससे न्यायालय आदेश प्राप्त करने में होने वाली देरी का समाधान होगा।

(छ) कारा, बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग) के माध्यम से जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत सभी दत्तक ग्रहण तथा कारा को रिपोर्ट किए गए रिश्तेदारों द्वारा दत्तक ग्रहण समेत सभी प्रकार के दत्तक ग्रहण, जिससे

सभी दत्तक बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करके तथा दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्तन सुनिश्चित करके संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

2.2.2 दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के मुख्य पहलूओं का वर्णन इस प्रकार है–

(क) **विनियमन 5(7) :** नातेदार दत्तक ग्रहण और सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामले में भावी दत्तक ग्रहण माता–पिता के लिए आयु का मानदंड लागू नहीं होगा।

(ख) **विनियमन 5(8):** तीन या तीन से अधिक बालकों दंपतियों पर दत्तक ग्रहण के लिए विनियमन (2) के उप विनियमन 21 में यथा परिभाषित विशेष जरुरतों वाले बालक, अनुच्छेद (50) में यथा उल्लिखित कठिनाई से दत्तक ग्रहण किये जाने वाले बालक और रिश्तेदार के बालक दत्तक ग्रहण और सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के अलावा विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) **विनियमन 7(23):** सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए जैविक माता–पिता बालक अथवा बालकों का दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 35 की उप धारा के अधीन यथा परिकल्पित दत्तक ग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष अनुसूची 21 में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

(घ) **विनियमन 10(2):** ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता–पिता को एक या अधिक संप्रेषणों में बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से एक या एक से अधिक विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों में तीन बालकों तक के, उनके वरियताक्रम में, ऑनलाइन विवरणिका अवलोकन करने का अवसर दिया जाएगा जिसमें फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परिवीक्षा रिपोर्ट समाविष्ट होगी।

(ड) **विनियमन 10(5):** दत्तक ग्रहण समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का होगा और बालक देखरेख संस्था के बालक के दत्तक ग्रहण के मामले में कोरम तीन सदस्यों का होगा यद्यपि जिला बाल संरक्षण एकक के अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(च) **विनियमन 10(7) :** मिलान की पूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से अधिकतम बीस दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(छ) **विनियमन 10(11) :** यदि अस्वीकृति प्रणालीगत त्रुटि से होती है या गैर–न्यायोचित कारणों की वजह से पाई जाती है, भावी दत्तक माता–पिता की ज्येष्ठता बरकरार रखी जायेगी।

(ज) **विनियमन 12(3) :** यदि बालक किसी ऐसी बालक देखरेख संस्था से है जो विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण नहीं है और दूसरे जिले में स्थित है, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण उस जिले के, जहां बालक अथवा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण स्थिति है, संबंधित न्यायालय में याचिका दर्ज करेगा और ऐसे मामले में बालक देखरेख संस्था विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ सह–याचिकाकर्ता होगी और बालक देखरेख संस्था से संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(झ) **विनियमन 12(7) :** दत्तक ग्रहण माता–पिता से, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य समर्थक दस्तावेजों में उनकी मनो–सामाजिक विवरणिका और वित्तीय स्थिति पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है, कोई वचनबंध निष्पादित करने या बालक के नाम पर निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

(ञ) **विनियमन 13(6) :** अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में बाधा के मामले में –

(i) याचिका दर्ज करने से पहले दत्तक ग्रहण पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बालक संरक्षण एकक को सूचित करते हुए संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा;

(ii) न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद दत्तक ग्रहण पूर्व देखरेख स्तर पर, जिला बाल संरक्षण एकक को सूचित करते हुए, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को वापस ले लिया जाएगा और संबंधित न्यायालय से दत्तक ग्रहण आवेदन वापस ले लिया जाएगा;

(iii) जहां दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के दौरान बालक को दूसरे राज्य में ले जाया गया है, वहां राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्व ारा उस राज्य से जहां बालक रह रहा है और उसके मूल राज्य से समन्वयन किया जाएगा।

(ट) **विनियमन 16(2)** :भावी दत्तक माता–पिता द्वारा जब न्यायालय से आदेश लंबित हो, प्राधिकरण द्वारा निरापेक्ष प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद अनुसूची 8 में दिए गए प्रपत्र में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, बालक को भारत में अस्थायी अवधि के लिए दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाएगा।

(ठ) **विनियमन 21** : विदेशी भारतीय नागरिक या भारत में रह रहें हेग देशों के विदेशी राष्ट्रिक के मामले में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया–

(i) यदि भावी दत्तक माता–पिता में से कोई एक विदेशी है और दूसरा भारतीय है, तो ऐसे मामले को भारत में रह रहे भारतीयों के मामले के समान ही माना जाएगा।

(ii) यदि भावी दत्तक माता–पिता दोनों ही विदेशी है, ऐसे मामलों में विनियम 20 के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

(ड) **विनियमन 33(3)** : राज्य सरकार व्यतिक्रमी अभिकरण या संस्था या कार्मिक को पर्याप्त अवसर देने के बाद, अधिनियम की धारा 32, धारा 41(1), धारा 41(5), धारा 65(4), धारा 80 और धारा 81 के अधीन उपबंधो के उल्लघंन के मामलों में शिकायतें मिलने पर या स्व–प्रेरणा से कार्रवाई करेगी।

(ढ) **विनियमन 34(6)** : निम्नलिखित के लिए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए, जहां कही अपेक्षित हों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता से वृत्तिक योग्यता वाले या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का रखरखाव और परामर्श केंद्र की स्थापना करना–

(i) भावी दत्तक माता–पिताओं का परामर्श देना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) बालक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और जहां कही अपेक्षित हो, पहले दत्तक ग्रहण किए गए बालकों को परामर्श देना;

(iii) दत्तक ग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना;

(iv) अंतरदेशीय नातेदारी दत्तक ग्रहणों के मामलों में कुटुम्ब की पृष्ठिभूमि रिपोर्ट तैयार करना;

(v) दत्तक बालकों और दत्तक माता–पिता को दत्तक ग्रहण पश्चात् परामर्श; और

(vi) मूल कुटुम्ब की खोज में पहले दत्तक ग्रहण किए गए बालकों की सहायता करना और परामर्श देना;

(ण) **विनियमन 39: विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या विदेशी पंजीकृत कार्यालय**– विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय दत्तक बालक को जिसके पास केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र और पुष्टि प्रमाण पत्र (केवल हेग अनुसमर्थित देशों के मामले में अपेक्षित) और सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश है, देश के बाहर जाने के लिए निकासी वीजा जारी करने से छूट देगा।

(त) **विनियमन 50 :कठिनाई से दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक**–विनियमनों 8, 48 और 49 के अधीन किए गए प्रयासों के अतिरिक्त, अपनी संचालन समिति के अनुमोदन से प्राधिकरण कठिनाई से दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए, जिन्हें बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से लंबे समय से कोई नामाकंन करने वाला नहीं मिल रहा है, अतिरिक्त प्रयास करेगा।

(थ) **विनियमन 51** : देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक ग्रहण–

(i) भावी दत्तक माता–पिता बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में पंजीकृत करेंगे और विनियम 55 में यथा उपबंधित विधिवत विधिक प्रक्रिया को अपनाएंगे।

(ii) जैविक माता–पिता की सहमति अथवा बाल कल्याण समिति की अनुमति, जैसा भी मामला हो, क्रमशः अनुसूची 19 या अनुसूची 22 में यथा उपबंधित अपेक्षित है।

(iii) बालक की सहमति, यदि वह पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का है आज्ञापक है।

(iv) देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तक ग्रहण के मामले में अनुसूची 24 के अनुसार भावी दत्तक माता–पिता की वित्तीय या सामाजिक स्थिति के समर्थन में उनसे एक शपथपत्र अपेक्षित होगा।

(v) भावी दत्तक माता–पिता सक्षम न्यायालय में अनुसूची 30 में यथा उपबंधित आवेदन दायर करेंगे।

(द) **विनियमन 52** : सौतेले माता–पिता द्वारा बालक / बालकों का दत्तक ग्रहण–

(i) दंपत्ति (सौतेले माता–पिता अथवा जैविक माता–पिता में से कोई एक) बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करेंगे।

(ii) बालक अथवा बालक का दत्तक ग्रहण करने वाले जैविक माता–पिता और सौतेले माता–पिता की सहमित प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण की अनुसूची 20 में यथा उपबंधित अपेक्षित होगी (अनुसूची 20 के निर्देशों को देंखे)।

(iii) बालक की अभिरक्षा के बारे में मुकद्मा विचाराधीन होने की अवस्था में, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया संबधित न्यायालय द्वारा मामले का निणर्य होने के बाद ही शुरु की जाएगी ।

(iv) जैविक और सौतेले माता–पिता कुटुम्ब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अनुसूची 32 के अनुसार आवेदन दर्ज करेंगे।

(v) आवेदक संबंधित न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश को सत्यापित प्रति प्राप्त करेंगे और प्रति बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

(ध) **विनियमन** 53– अंतर–देशीय रिश्तेदारी में दत्तक ग्रहण –

(i) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिक, जो रिश्तेदारी के बालक का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक है, अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराने और बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते है।

(ii) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तो रिश्तेदार बालक का दत्तक ग्रहण करने का इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता उस देश के संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनायिक मिशन (भारतीय नागरिकों के मामलों में) से संपर्क करेगा ।

(iii) गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने पर प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय राजनायिक मिशन (भारतीय नागरिकों के मामलों में), यथास्थिति, बालक दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदशर्क प्रणाली (केयरिंग्स) में अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्रपत्र में भावी दत्तक माता–पिता का आवेदन रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(iv) कोई व्यक्ति, जो किसी बालक को सक्षम न्यायालय के वैध आदेश के बिना विदेश ले जाता है या भेजता है या विदेश में दूसरे व्यक्ति को बालक की देखरेख या अभिरक्षा हस्तांतरित करने की किसी भी व्यवस्था में भागीदारी करता है, वह अधिनियम की धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडित होगा।

(न) विनियमन 54–अंतरदेशीय रिश्तेदारी में दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन –

(i) बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर प्राधिकरण, अनुसूची 21 में यथा उपबंधित, दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए उन्हें जिला बालक संरक्षण एकक को अग्रेषित करेगा।

(ii) जिला बालक संरक्षण एकक अपने सामाजिक कार्यकर्ता से पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कराएगा और एकक इस प्रयोजन के लिए, समय–समय पर प्राधिकरण द्व ारा विहित मानकों में यथा नियत शुल्क ले सकेगा ।

(iii) जिला बालक संरक्षण एकक बालक और जैविक माता–पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जो उसे आगे प्राधिकृत विदेशी दत्तकहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या विदेश में भारतीय मिशन को भेजेगा।

(iv) रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण प्रस्तावित दत्तक ग्रहण के समर्थन में अनुमोदन पूर्व–पत्र के साथ हेग अभिसमय के अनुच्छेद 15 और 16 में यथापेक्षित प्राप्तकर्ता देश को अग्रेषित करेगा ।

(v) प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण

(v.क) उप–विनियम (3) में यथा अनुबंधित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर हेग दत्तक–ग्रहण अभिसमय के अनच्छेद 5 या 17 के अधीन प्रमाणपत्र प्राधिकरण को भेजने की व्यवस्था करेगा।

(v.ख) ऐसे देशों के मामले में जो हेग दत्तक–ग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, भारतीय नागरिक के संबंध में, रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का अनुमोदन पूर्व–पत्र प्राप्त उस देश के भारतीय मिशन को अग्रेषित किया जाएगा जो प्राधिकरण को अनुशंसा पत्र जारी करेगा।

(प) विनियमन 55– विधिक प्र,क्रिया –

(i) भावी दत्तक माता–पिता, जो अधिनियम की धारा 2 क उप–धारा (52) के अधीन यथा परिभाषित रिश्तेदारी के बालक का दत्तक ग्रहण करने का इरादा रखते हैं, दत्तक ग्रहण विनियमनों की अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक माता–पिता का सहमति पत्र और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अंतर्देशीय घरेलू रिश्तेदारी दत्तक ग्रहण या अंतर–देशीय घरेलू रिश्तेदारी दत्तक ग्रहण के मामले में अधिनियम, की क्रमशः धारा 56 की उप–धारा (2) और धारा 60 की उप–धारा (1) के अधीन सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर करेंगे ।

(ii) जैविक माता–पिता के बालक अथवा बालकों का दत्तक ग्रहण कर रहे जैविक माता–पिता अथवा सौतेले माता–पिता उस जिले के संबधित न्यायालय में, जहां वे निवास करते हैं, अनुसूची 20 यथा उपबंधित जैविक माता–पिता और बालक या बालकों का दत्तक ग्रहण कर रहे सौतेले माता–पिता के सहमति पत्र के साथ अनुसूची 22 में यथा उपबंधित दत्तक ग्रहण आवेदन और अनुसूची 6 में यथा उपबंधित अन्य दस्तावेज दायर करेंगे।

(iii) भावी दत्तक माता–पिता, अंतर्देशीय घरेलू रिश्तेदारी दत्तक ग्रहण के मामले में, उस जिले में जहां बालक अपने जैविक माता–पिता या संरक्षक के साथ रहता है, अनुसूची 31 में यथा उपबंधित उस जिले के संबंधित न्यायालय में आवेदन करेंगे।

(iv) भावी दत्तक माता–पिता कुटुंब न्यायालय या जिला न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय में, यथास्थिति, आवेदन दायर करेंगे ।

(v) न्यायालय, दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने से पहले, अधिनियम की धारा 61 और विनियम 51 से 56 के अधीन, जैसा भी मामला हो, यथा अनुबंधित विभिन्न शर्तों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

(vi) भावी दत्तक माता–पिता न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अधिप्राप्त करेंगे और उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए जिला बालक संरक्षण एकक को प्रस्तुत करेंगे।

(फ) विनियमन 56.–प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र – अंतरर्देशीय रिश्तेदारी में दत्तक ग्रहण के मामले में, प्राधिकरण जिला बाल संरक्षण एकक द्वारा अग्रेषित दत्तक ग्रहण आदेश की प्राप्ति से दस दिनों के भीतर बालक के दत्तक ग्रहण के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसकी

एक प्रति संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

(ब) **विनियमन** 57–पुष्टि प्रमाण पत्र जारी करना – केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यदि दत्तक बालक का प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदशर्क प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तक ग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर अनुसूची 10 में यथा उपबंधित प्रपत्र हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(भ) **विनियमन 58**–बालक देखरेख संस्था और इसका विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ संयोजन–

यदि बालक देखरेख संस्था उसी जिले में स्थित हैं–

(i) विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त, अथवा अभ्यर्पित बालक के लिए अनुसूची 1 और 3 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार कराने सहित अपेक्षित प्रलेखीकरण और औपचारिकताएं पूरी करेगा।

(ii) विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैध रुप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण–पत्र समाविष्ट होगा।

यदि बालक देखरेख संस्था और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण एक ही जिले में स्थित नहीं है–

(i) जिला बाल संरक्षण एकक निर्धारित प्रपत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से बालक अध्ययन रिपोर्ट और बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमशः अनुसूची 1 और 3 के अनुसार तैयार कराएगा;

(ii) जिला बाल संरक्षण एकक बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली केयरिंग्स में बालक की विवरणिका अपलोड करेगा जिसमें बालक का फोटो, बालक अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति का बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैध रुप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण–पत्र समाविष्ट होगा; और

(iii) एक बार जब बालक के दस्तावेज बालक दत्तक ग्रहण संसाधन मार्गदर्शक प्रणाली केयरिंग्स में अपलोड कर दिये जाते है, संयोजित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार उनके दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए ऐसे बालकों की सूचनाओं तक अभिगम करेगा।

म) **विनियमन 59**– प्राधिकरण को अपील–

(i) कोई भावी दत्तक माता–पिता या बालक या उसकी ओर का कोई अन्य व्यक्ति, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की राय या भावी दत्तक माता–पिता या दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता से संबंधित मुद्दों या भावी दत्तक माता–पिता या बालक सें संबंधित प्रलेखीकरण जैसे की भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट या स्वास्थ्य स्थिति, बालक अध्ययन रिपोर्ट, या चिकित्सा जांच रिपोर्ट के कारण दत्तक ग्रहण के लिए चयन न किए जाने से व्यथित है, वह प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

(ii) व्यथित व्यक्ति द्वारा उप–नियम 1 में संदर्भित आवेदन राय अथवा निर्णय की तारीख से सात दिनों के भीतर किए जाएगें।

(iii) प्राधिकरण का विनिश्चय संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।

(iv) प्राधिकरण आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उसकी सूचना आवेदक को लिखित में विनिश्चय से तीन कार्य दिवसों में करेगा।

(v) प्राधिकरणों का निर्णय सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

(vi) प्राधिकरण प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, निर्णय लेगा कि क्या संबंधित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए अन्य भावी दत्तक माताओं–पिताओं को आगे नामाकंन करने से निरुद्ध किया जा सकता है।

य) विनियमन 60–शिथिल और निर्वचन की शक्ति–

(i) किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग के संबंध में इन विनियमनों के किसी उपबंध की शिथिलता और अपवाद देने की शक्ति प्राधिकरण के पास शिथिलीकरण समिति निहित होगी।

(ii) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और समिति में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विधि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला संचालन समिति का एक सदस्य होगा।

(iii) प्राधिकरण की शिथिलीकरण समिति का कोई भी विनिश्चय किसी भी भावी दत्तक माता–पिता की ज्येष्ठता में परिर्वतन को प्रभावित नहीं रखेगा जब तक कि कारण लिखित में अभिलिखित न हों और बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) इन विनियमनों के निर्वचन में किसी अस्पष्टता की दशा में, प्राधिकरण का विनिश्चय अभिभावी होगा।

2.3 केयरिंग्स

2.3.1 बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शक प्रणाली केयरिंग्स, दत्तक ग्रहण संबंधी ऑनलाइन पहल को फरवरी, 2011 में शुरु किया गया और उसे कारा की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात पर दर्शाया गया। केयरिंग्स बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 में यथा परिकल्पित अंतराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है, जिसका भारत एक पक्षकार देश है। यह राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली देश भर बच्चे के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और बच्चे के अनुकूल बनाने का प्रयास करती है। यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शीघ्रता और सुचारु बनाने के लिए, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने हेतू पक्षकारों का प्रशिक्षित नेटवर्क तैयार करने के लिए और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए दत्तक ग्रहण के राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रख–रखाव करता है। केयरिंग्स केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कारा के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और दत्तक ग्रहण के बाद की प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है–

(क) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना।

(ख) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को कम से कम करना।

(ग) भावी दत्तक माता–पिता को सूचित निर्णय लेने हेतू सक्षम बनाना।

(घ) नीति निर्णय में सहायता लेने हेतू डाटाबेस का बुद्धिमता से विश्लेषण प्राप्त करना।

(ड) केंद्रीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण के पश्चात की प्रक्रिया को ऑनलाइन निगरानी प्रदान कर दत्तक ग्रहण प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है।

(च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना।

(छ) दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थानों के बीच अभिभावकों को माता–पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डेटाबेस बनाने हेतू संपर्क बनाया जाए जिससे उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके।

(झ) बच्चे और माता–पिता की बेहतर रुप से मिलान करवाने हेतू और उनकी दत्तक ग्रहण की इच्छा को बनाये रखने हेतू माता–पिता को उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी और स्थिति ट्रैक करने हेतू सक्षम सुविधा प्रदान करना।

2.3.2 केयरिंग्स के लाभ–

(क) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी से विभिन्न स्तरों पर विलंब समझने और इससे प्रणाली की खामियों को दूर करने में सहायता मिलती है।

(ख) डाटा विश्लेषण एक समयबद्धता तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने को संभव बनाता है।

(ग) केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण किया जाता है।

(घ) भावी दत्तक माता–पिता का ऑनलाइन पंजीकरण होता है।

(ड) विशेष जरुरतों वाले बच्चों का शीघ्र स्थापन किया जाता है।

(च) दत्तक ग्रहण के बाद ऑनलाइन अनुवर्ती कार्रवाई सम्पादित की जाती है।

(छ) एसएए के साथ संपर्क के माध्यम से अन्य सीसीआई में स्थापित बच्चों का दत्तक ग्रहण कार्य संपन्न होता है।

(ज) घरेलू दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

2.3.3 विभिन्न संचालनात्मक मॉड्यूल

(क) देश के भीतर दत्तक–ग्रहण के लिए पंजीकरण हेतु पीएपी मॉड्यूल

(ख) बालकों के पंजीकरण हेतु एसएए मॉड्यूल

(ग) जिले के भीतर दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी के लिए डीसीपीयू मॉड्यूल

(घ) राज्य के भीतर दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी हेतु सारा मॉड्यूल

(ड) देश के भीतर दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया की निगरानी हेतु कारा मॉड्यूल

(च) विदेशों से दत्तक–ग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता के पंजीकरण हेतु एएफएए मॉड्यूल

(छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र मॉडयूल

(ज) एफआरआरओ मॉडयूल

(झ) त्तकाल स्थापन मॉडयूल

2.3.4 उपलब्धियां

दत्तक–ग्रहण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 2015 में केयरिंग्स को उन्नत बनाया गया।

(क) केयरिंग्स के माध्यम से 411 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरणों (एसएए) का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(ख) केयरिंग्स के माध्यम से 559 जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयू) का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(ग) केयरिंग्स के माध्यम से 30 राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरणों (सारा) का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(घ) विशेष आवश्यकता वाले मॉडयूल के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले दत्तक ग्रहण योग्य बालकों के पुनर्वास की फास्टट्रैकिंग की गई।

(ड) 256 देशीय और 151 अंतरदेशीय–बड़े बच्चों के पुनर्वास की फास्टट्रैकिंग की गई।

(च) अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक केयरिंग्स पर 10291 पंजीकृत पीएपी के गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) अपलोड किए गए हैं।

(छ) 49 देशीय और 244 अंतरदेशीय विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण

(ज) 101 देशीय और 16 अंतरादेशीय–त्तकाल प्लेसमेंट मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों को स्थानांतरित करने हेतू कठिनाई से दत्तक ग्रहण किया गया।

2.3.5 केयरिंग्स को समय–समय पर अपग्रेड किया गया है।

2.4 प्रशिक्षण और विकास

2.4.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों का अवलोकन–

क) विभिन्न हितधारकों और सेवा प्रदाताओं हेतू केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का उद्देश्य निम्न है–

(i) जे.जे अधिनियम, 2015 में यथा परिकल्पित देश में गैर–संस्थानिक देखभाल कार्यक्रम और दत्तक–ग्रहण को सुदृढ़ करना

(ii) दत्तक–ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली अर्थात् केयरिंग्स में आई.टी एप्लीकेशन पर जानकारी देना।

(iii) विशेष रूप से माता–पिता की देखभाल से वंछित बच्चों के लिए बाल संरक्षण प्रणाली में गवर्नेंस को बढ़ाना

(iv) दत्तक–ग्रहण सहित विविध बाल संरक्षण मुद्दों को समझने के कौशल को सुदृढ़ करना

(v) समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करने में योगदान देना, संयुक्त आयोजना बनाना और समन्वित विकास में सहायता करना।

(vi) प्रतिभागियों को अद्यतन दिशानिर्देशों अधिनियमों के बारे में बताकर उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में और अधिक कुशलता से काम करने और उनके अंदर उनके क्षेत्र में अपेक्षित कौशलों का विकास करने में सहायता देना, और

(vii) एसएए–सीसीआई लिंकेज की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, देशीय/अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दे, एचएसआर/सीएसआर/एमईआर विशेष जरूरतों/बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण के साथ–साथ दत्तक प्रक्रिया मे हो रही देरी को संबोधित करते है।

(viii) प्रतिभागियों से क्षेत्रीय जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में प्रतिपुष्टि लेना

उपरोक्त के संदर्भ में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा द्वारा आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित है–

क्र.म. सं.	कार्यक्रम का प्रकार	वर्ष 2016–17 के दौरान की गये कार्यक्रम
i.	बहु–हितधारकों के लिए कारा द्वारा आयोजित मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम	5
ii.	बहु–हितधारकों के लिए दत्तक ग्रहण पर कारा द्वारा आयोजित क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम	9
iii.	राज्य/ केंद्र शासित सरकारों के सहयोग से कारा द्वारा दत्तक ग्रहण आयोजित राज्य अभिविन्यांस कार्यक्रम	14
iv.	न्यायिक अधिकारियों/न्यायधीशों के न्यायिक अकादमी में दत्तक ग्रहण करने हेतू उन्मुखीकरण–सह–संवेदनशीलता कार्यक्रम	8

दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को शिलांग, मेघालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए बाल दत्तक ग्रहण पर पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक कल्याण और मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकरियों द्वारा श्रीमती मेनका संजय गांधी, केन्द्रीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी का स्वागत करते हुये।

दिनांक 18 अप्रैल, 2016 को शिलांग, मेघालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए बाल दत्तक ग्रहण पर पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक कल्याण और मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकरियों द्वारा श्रीमती मेनका संजय गांधी, केन्द्रीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुये।

2.4.2 बहु–हितधारकों के लिए कारा द्वारा संचालित प्रमुख प्रशिक्षक कार्यक्रम :

(क) राज्य सरकार के प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों को दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एनआईपीसीसीडी के सहयोग से बैंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर, गुवाहाटी और लखनऊ में मई से जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

(ख) प्रमुख प्रशिक्षकों को उनके राज्य के दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों, बाल देखभाल संस्थानों, बाल संरक्षण अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के कार्यकर्ताओ के क्षमता निर्माण में अतिरिक्त योगदान देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। इससे वे अपने राज्य में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं को शामिल करके राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम की व्यवस्था तथा उन्हें बाल संरक्षण, दत्तक ग्रहण की बारीकियों एवं ऑनलाइन केयरिंग्स एप्लीकेशन के उपयोग को समझा सकेंगे। प्रशिक्षण सत्रों से सीखी गई प्रक्रिया/कार्यपद्धति को सभी हितधारकों तक पहुंचाया जाएगा ताकि राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहायता सके। कार्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम. सं.	प्रतिभागी देशों के नाम	स्थान / शहर	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
i.	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना	बैंगलोर	6 और 7 मई, 2016	26
ii.	हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़	20 और 21 मई, 2016	24
iii.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और द्वीप, गोवा, राजस्थान	इंदौर	03 और 04 जून, 2016	43
iv.	असम, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा	गुवाहाटी	17 और 18 जून, 2016	51
v.	उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली, उत्तराखंड	लखनऊ	15 और 16 जुलाई, 2016	23

2.4.3 बहु–हितधारकों के लिए दत्तक ग्रहण पर कारा द्वारा आयोजित क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम :

(क) विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों, जिला बाल संरक्षण एकक, बाल कल्याण समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, दत्तक ग्रहण मामलों से डील करते राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय से प्रतिनिधि तथा दत्तक माता–पिता समेत बहु–हितधारक प्रतिभागियों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	क्षेत्र (प्रतिभागी राज्य)	भाहर	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की श्रेणी	प्रतिभागियों की संख्या
i.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	शिलांग, मेघालय	18 अप्रैल, 2016	बहु–हितधारक	350
ii.	**पश्चिमी क्षेत्र** दादरा और नागर हवेली, दमण और द्वीप, गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र	पुणे, महाराष्ट्र	07 दिसम्बर, 2016	बहु–हितधारक	100
iii.	**उत्तरी क्षेत्र** चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड	नई दिल्ली	12 दिसम्बर, 2016	बहु–हितधारक	120
iv.	**केन्द्रीय क्षेत्र** छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	इंदौर, मध्यप्रदेश	17 दिसम्बर, 2016	बहु–हितधारक	140
v.	**दक्षिणी क्षेत्र** आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना	बंगलोर, कर्नाटक	29 दिसम्बर, 2016	बहु–हितधारक	132
vi.	**दक्षिणी क्षेत्र** अंडमान एवं निकोबार, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप	बंगलोर, कर्नाटक	30 दिसम्बर, 2016	बहु–हितधारक	

vii.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	गुवाहाटी, असम	11 जनवरी, 2017	बहु–हितधारक	70
viii.	**पूर्वी क्षेत्र** उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	16 जनवरी दिसम्बर, 2017	बहु–हितधारक	70
ix.	**पूर्वी क्षेत्र** पश्चिम बंगाल और ओडिशा	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	17 जनवरी, 2017	बहु–हितधारक	70

गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप हेतू दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को पुणे, महाराष्ट्र में दत्तक ग्रहण पर पश्चिमी क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम

दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड हेतू दिनांक 12 दिसंबर, 2016 को पीएचडी कक्ष, नई दिल्ली में दत्तक ग्रहण पर उत्तरी क्षेत्र अभिविन्यास कार्यक्रम।

17 दिसंबर, 2016 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर, मध्यप्रदेश में दत्तक ग्रहण पर केंद्रीय क्षेत्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम

29 सितंबर, 2016 को आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, बंगलोर, कर्नाटक में दत्तक ग्रहण पर दक्षिणी क्षेत्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम (1)

30 सितंबर, 2016 को अंडमान और निकोबार, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप हेतू एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र, बंगलोर, कर्नाटक में दत्तक ग्रहण पर दक्षिणी क्षेत्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम (2)

2.4.4 बहु–हितधारकों के लिए दत्तक ग्रहण पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सहयोग से कारा द्वारा आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम :

(क) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक, बाल कल्याण समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, दत्तक ग्रहण मामलों से डील करते राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय से प्रतिनिधि तथा दत्तक माता–पिता समेत बहु–हितधारक प्रतिभागियों के लिए राज्य स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्र.म. सं.	देश	शहर	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
i.	गोवा	गोवा	26 अप्रैल, 2016	55
ii.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	10 सितंबर, 2016	120
iii.	दमन और द्वीप	नानी दमन	19 सितंबर, 2016	85
iv.	दादर और नागर हवेली	सिलवासा	20 सितंबर, 2016	120
v.	कर्नाटक	बैंगलोर	05 और 06 अक्टूबर, 2016	140
vi.	हरियाणा	गुरुग्राम	20 जनवरी, 2017	
vii.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	07 फरवरी, 2017	70
viii.	राजस्थान	जयपुर	16 फरवरी, 2017	63
ix.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद 04 मार्च, 2017	175
x.	तमिलनाडु	चेन्नई	20 मार्च, 2017	227
xi.	ओडिशा	कटक	10 मार्च, 2017	120
xii.	ओडिशा	गंजम	17 मार्च, 2017	120
xiii.	ओडिशा	संबलपुर	24 मार्च, 2017	120
xiv.	छत्तीसगढ़	रायपुर	24 और 25 मार्च, 2017	260

दिनांक 15 जुलाई, 2016 को पुणे, महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम

दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को नानी दमन, दमन और द्वीप में राज्य स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम

दिनांक 17 फरवरी, 2017 को जयपुर, राजस्थान में राज्य स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम

दिनांक 20 मार्च, 2017 को चेन्नई, तमिलनाडु में राज्य स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम

दिनांक 24 और 25 मार्च, 2017 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में दत्तक ग्रहण पर राज्य स्तर अभिविन्यास कार्यक्रम

2.4.5 राज्य न्यायिक अकादमी के साथ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में न्यायिक अधिकारियों/जजों के लिए दत्तक ग्रहण पर अभिविन्यास–सह–संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम :

(क) राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय न्यायिक अकादमियों में निदेशक/संकाय वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों (जिला न्यायालय के एलडी. डीजे तथा एडीजे परिवार न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों) के लिए अभिविन्यास–सह–संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

क्रम.सं	कार्यक्रम का विवरण	स्थान, राज्य	कार्यक्रम की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
i.	बाल न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक कार्यक्रम	तेलंगाना न्यायिक अकादमी, सिकंदराबाद	04 जून, 2016	86
ii.	बाल न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	बिहार न्यायिक अकादमी, पटना,	26 जून, 2016	148
iii.	दत्तक ग्रहण और उससे संबंधित न्यायधीशों द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, थाने	15 जुलाई, 2016	50
iv.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल दत्तक ग्रहण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली	22 और 23 जुलाई, 2016	26
v.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक कार्यक्रम	न्यायिक और विधिक अकादमी, भोवाली, उत्तराखंड	30 जुलाई, 2016	25
vi.	किशोर अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	न्यायिक और विधिक अकादमी, भोवाली, उत्तराखंड	26 नवंबर, 2016	25

vii.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल संरक्षण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली न्यायिक अकादमी, साकेत, नई दिल्ली	12 जनवरी, 2017	80
viii.	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के अंतर्गत न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, थाने, मुम्बई	23 और 24 जनवरी, 2017	101

सिकंदराबाद, तेलंगाना में 04 जून, 2017 को न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

30 जुलाई, 2016 को नैनीताल, उत्तराखंड में न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी–

श्री दीपक कुमार, सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण 13 से 15 अक्टूबर, 2016 तक हेग, नीदरलैंड में अनुचित अभ्यासों में हेग वर्किंग समूह में भाग लेते हुये।

2.5.1 प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ (एचसीसीएच) नीदरलैंड में हेग कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण में गैर–कानूनी कार्य

(क) हेग कन्वेंशन का एक मुख्य उद्देश्य अनुबंधीय राज्यों के बीच सहयोग की एक प्रणाली स्थापित करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरर्देशीय दत्तक ग्रहण में संरक्षण का ध्यान रखा जा रहा था तथा जिसके कारण बच्चों के अपहरण, खरीद, अवैध तस्करी पर रोकथाम है। इस पृष्ठभूमि के साथ, अंतरर्देशीय दत्तक ग्रहण में गैर–कानूनी कार्यों को रोकने और समाधान पर प्रथम कार्यकारी समूह की स्थापना 2010 में शोषण की विशिष्ट घटनाओं को रोकने एवं समाधान हेतु राज्यों के बीच में अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक तरीके के सहयोग को बढ़ाने पर विचार किया जाए।

(ख) समूह का अधिदेश "शोषण की विशिष्ट घटनाओं को रोकने एवं समाधान हेतु राज्यों के बीच में अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक तरीके के सहयोग को बढ़ाने पर विचार करने हेतु" था। 1993 हेग अंतरर्देशीय दत्तक ग्रहण सम्मेलन तथा राज्यों की संस्तुति के व्यावहारिक परिचालन पर 2015 विशेष आयोग में इस विषय पर विचार–विमर्श, तथा इस समूह द्वारा पूर्व में किए गए अन्य कार्य के आधार पर कई प्रस्तावों पर विचार किया गया।

(ग) हेग (चर्चिलप्लाइन 6बी, 2517 जेडब्ल्यू हेग) में परमानेंट ब्यूरो के कार्यालय में गुरुवार 13 अक्तूबर से शनिवार 15 अक्टूबर, 2016 तक वैयक्तिक रूप से बैठक आयोजित की गई थी। बैठक दिनांक 13 अक्टूबर को शुरू हुई, उसके बाद दूसरे दिन 14 अक्टूबर को चली तथा 15 अक्टूबर की दोपहर को कार्यवृत्त की आलेखन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(घ) 13 से 15 अक्तूबर, 2016 तक, अवैध कार्यों को रोकने एवं समाधान पर कार्यकारी समूह ('समूह') हेग में मिले। बैठक में 20 राज्यों, मूल राज्य एवं रिसिविंग राज्य दोनों, का प्रतिनिधित्व करते 36 विशेषज्ञ तथा तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परमानेंट ब्यूरों के सदस्यों ने भाग लिया।

(ड़) भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

(i) दीपक कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(ii) राजेश कुमार, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(iii) काजल भट्ट, प्रथम सचिव (विधिक), नीदरलैंड दूतावास, एमईए

2.6 मीडिया एवं प्रचार

2.6.1 वर्ष के दौरान, कारा ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी एवं नैतिक दत्तक ग्रहण कार्य का प्रचार किया। कारा द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की अनुशंसा हेतु की गई कुछ पहलों को गतिविधियों नीचे विस्तार से दिया गया हैः

(क) ऑनलाइन दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का उपयोग शुरू किया गया है। इन पृष्ठों को नियमित रूप से अपेडट किया जाता है।

(ख) भावी दत्तक माता–पिता के लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के प्रचार हेतु वीडियो और ऑडियो स्पॉट बनाए गए हैं। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर मल्टी–मीडिया अभियान तथा राज्यों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भी किया गया है।

(ग) अपंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण, एसएए–सीसीआई से जोड़ना, अस्पताल/ नर्सिंग होम्स/ फर्टिलिटी क्लिनिक के माध्यम से गैर–कानूनी दत्तक ग्रहण को रोकना तथा सीडब्ल्यूसी एवं न्यायालयों के स्तर पर लंबित दत्तक ग्रहण मामलों पर राज्यों को अनेकों पत्र जारी किए गए हैं।

(घ) आईईसी सामग्री एवं होर्डिंग्स की प्रिंटिंग।

(ङ) विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों एवं भावी दत्तक माता–पिता के लिए कारा द्वारा ऑनलाइन दत्तक ग्रहण प्रक्रिया एवं दत्तक ग्रहण विनियमन, 2016 के संदर्भ में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।

(च) सभी प्रमुख अखबारों में गैर–कानूनी दत्तक ग्रहण के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए मुद्रित विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया।

(छ) भावी दत्तक माता–पिता के लिए केयरिंग पर पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को समझाने के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) ट्यूटोरियल तैयार किए गए है।

(ज) कारा यू–ट्यूब पेज बना रही है, जिसमें नई दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के प्रचार के लिए तथा उसे पीएपी की समझ योग्य बनाने के लिए ट्यूटोरियल एवं वीडियो स्पॉट उपलब्ध हैं।

2.7 निरीक्षण एवं निगरानी

2.7.1 दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों का निरीक्षण/ दौरा – वर्ष 2016–17 के दौरान कारा ने दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों का निरीक्षण किया ताकि यह देखा जा सके कि सभी सहयोगी प्राधिकरणों जे.जे. अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियमन, 2016 के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे है एवं अपने कार्यों को कर रहे हैं। ब्यौरा नीचे प्रदर्शित किया गया है:

क्रम. सं	राज्य	निरीक्षण/आवागमन किए गये दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या
i.	असम	02
ii.	दिल्ली	04
iii.	महाराष्ट्र	15
iv.	कर्नाटक	03
v.	छत्तीसगढ़	01

2.7.2 वर्ष 2016–17 के दौरान, कारा के अधिकारियों द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों की गतिविधियों के बारे में लगभग देशभर में 25 निरीक्षण किए गए थे।

2.8 महत्वपूर्ण परिपत्र एवं सूचनाएं

2.8.1 कारा/ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारकों जिसमें राज्य सरकार, बाल कल्याण समिति, डीसीपीयू, न्यायालय आदि शामिल है, को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने पर कई परिपत्र एवं सूचनाएं जारी किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं सूचनाओं को अनुबंध–ग में प्रस्तुत किया गया है।

2.9 अन्य पहलें, मुख्य उपलबधियां एवं प्रशंसा

2.9.1 शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम/ गतिविधियां

(क) एसएए–सीसीआई से जोड़ना – विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) तथा बाल देखभाल संस्थानों को जोड़ा गया है ताकि अभिभावक की देखभाल से रहित प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा जा सके। वर्ष 2016–17 के दौरान, 124 सीसीआई से 768 बच्चों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास हेतु जोड़ा गया है। चाईल्ड लाइन सर्वेक्षण के आंकड़े यह बताते है कि हजारों सीसीआई पैन–इंडिया में कई दत्तक ग्रहणीय बच्चे है। उक्त की समीक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकारों के निरंतर संपर्क में है। सभी सीसीआई के पंजीकरण एवं जोड़ने की प्रक्रिया को यथाशीघ्र करने के लिए समय–समय पर केन्द्र द्वारा राज्यों को परिपत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ख) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे – कारा ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के प्रचार के लिए विशेष मुहिम शुरू की है। केयरिंग्स की मदद से अनेकों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को देश एवं विदेश में दत्तक ग्रहण में रखा गया है एवं कारा भी उक्त की व्यवस्था करता है। इन बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक अक्षमताएं हैं जिन्हें पहले भारतीय नागरिक को और उसके बाद ओसीआई तथा विदेशी भावी दत्तक माता–पिता को दिखाया जाता है ताकि उनको प्यार एवं देखभाल करने वाले परिवारों में रखा जा सके। वर्ष 2016–17 के दौरान, केयरिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश के अंदर 244 बच्चे एवं घरेलू दत्तक ग्रहण में 49 बच्चों को रखा गया है।

(ग) मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चे – केयरिंग्स ने नए शुरू हुए यथाशीघ्र प्लेसमेंट मॉड्यूल के माध्यम से मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण की व्यवस्था की है। ये बच्चे वे हैं जो दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त होने के बावजूद अनेकों बार रेफर करने के बाद भी माता–पिता द्वारा रिज़र्व या स्वीकृत नहीं किए गए थे। ये बच्चे आमतौर पर बड़ी उम्र के या कम सुधार–चिकित्सीय जरूरत वाले है। यथाशीघ्र प्लेसमेंट मॉड्यूल का शुभारंभ दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को किया गया। सितम्बर–मार्च 2017 के दौरान मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चों को घरेलू पीएपी द्वारा रिज़र्व किया गया जिसमें से 109 का मिलान एवं घरेलू पीएपी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त को दिनांक 24 अक्तूबर, 2016 से अंतरर्देशीय पीएपी तक विस्तारित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक 132 बच्चों को अंतरर्देशीय पीएपी द्वारा रिज़र्व किया गया जिसमें से 33 का मिलान एवं घरेलू पीएपी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

(घ) कारा में परामर्श (काउंसलिंग) केन्द्र का शुभारंभ – दिनांक 01 जुलाई, 2016 को प्राधिकरण की सचिव (डब्ल्यूसीडी) एवं अध्यक्ष सुश्री लीना नायर द्वारा कारा में एक परामर्श केन्द्र का शुभारंभ किया गया। इस उद्देश्य हेतु परामर्शदाता को पैनल में रखा गया है। वैयक्तिक एवं टेली–काउंसलिंग दोनों के लिए केयरिंग्स के माध्यम से परामर्श हेतु अनुरोध एवं अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है। इस सुविधा के माध्यम से अनेकों पीएपी को परामर्श दिया गया है। राज्य सरकारों के माध्यम से संबंधित राज्य एवं जिला स्तर पर परामर्श सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है।

2.9.2 **मुख्य उपलब्धियां** – उपलब्धियों को गिना नहीं जा सकता, फिर भी वर्ष 2016–17 की मुख्य उपलब्धियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) जनवरी 2017 में दत्तक ग्रहण विनियमन की अधिसूचना।

(ख) केयरिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का 430 से भी ज्यादा पंजीकृत दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों समेत सभी हिताधारकों के साथ पूर्ण कार्यान्वयन।

(ग) पीएपी को कानूनी दत्तक ग्रहण तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जागरुक करना जिसके परिणामस्वरूप बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु केयरिंग पर बड़ी संख्या में पंजीकृत उपयुक्त पीएपी (12000 से ज्यादा) आए।

(घ) विशिष्ट आवश्यकता वाले मॉड्यूल के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे तथा यथाशीघ्र प्लेसमेंट मॉड्यूल के माध्यम से मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चों के पुनर्वास की फास्ट–ट्रैकिंग।

2.9.3 प्रशंसा :

(क) स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड, 2016 – कारा ने दिनांक 08–09 सितम्बर, 2016 को एचआईसीसी कॉम्प्लेक्स, हाइटेक सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 45वें स्कॉच सम्मेलन के दौरान स्कॉच प्लैटिनियम अवार्ड एवं स्कॉक स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड, 2016 नामक दो अवार्ड जीते। स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड, उच्च प्रदर्शन करने वाले सरकारी संगठनों एवं सरकार के साथ कार्य करने वाले संगठनों को पहचानने की एक पहल है। यह अवार्ड कार्यक्रमों एवं सेवाओं के सर्वश्रेष्ठ एवं कुशल कार्यान्वयन हेतु गवर्नेंस के बेहतर कार्य एवं मॉडल्स के सम्मान में दिया जाता है।

अध्याय : 3

वैधानिक अनुपालन

3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 पर जानकारी :

3.1.1 कारा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं अपीलीय प्राधिकरण है। इस वर्ष के दौरान कारा को 49 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए (प्रत्यक्ष तथा हस्तांतरित मामले)। 49 आरटीआई आवेदनों में से, इस कार्यालय ने 36 आरटीआई आवेदनों पर आवेदकों को प्रतिक्रिया एवं उत्तर दिया तथा 08 आरटीआई आवेदनों को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किया।

3.1.2 इसके अलावा, कारा को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कुल 04 अपील आवेदन प्राप्त हुए और 04 अपील आवेदनों पर अपीलकर्ता को प्रतिक्रिया एवं उत्तर दिया गया।

3.1.3 **सूचना का अधिकार आवेदन और सूचना का अधिकारी की अपील का विवरण नीचे दिया गया है–**

क) सूचना का अधिकार आवेदन–

2016–17 की तिमाही	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में सीधा प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	अन्य सार्वजनिक प्रा. धिकरणों के द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को स्थानांतरित आवेदनों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के उत्तरदाता द्वारा आवेदक को दिए गए प्रत्युत्तर की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित आरटी. आई आवेदनों की संख्या
प्रथम	01	01	01	01
द्वितीय	01	07	08	...
तृतीय	04	18	17	03
चतुर्थ	07	10	10	04
कुल	**13**	**36**	**36**	**08**

ख) सूचना का अधिकार अपील –

2016–17 की तिमाही	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में सीधा प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के द्वारा केंद. ्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को स्थानांतरित आवेदनों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के उत्तरदाता द्वारा आवेदक को दिए गए प्रत्युत्तर की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित आरटीआई आवेदनों की संख्या
प्रथम	01	...	01	...
द्वितीय	...	01	01	...
तृतीय	...	01	01	...
चतुर्थ	01	...	01	...
कुल	**02**	**02**	**04**	**...**

अध्याय : 4

आंकड़ा आधार

4.1 दत्तक ग्रहण आंकडे (समेकित):_

दत्तक ग्रहण	2014–2015	2015–2016	2016–2017
देशीय	3988	3011	3210
अंतरदेशीय	374	666	578

4.2 वर्ष 2016–17 हेतू राज्य–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण) आंकडों का विवरण निम्नानुसार है–

कम. सं.	राज्य का नाम	2016–17	
		देशीय	अंतरदेशीय
1	आंध्र प्रदेश	61	13
2	असम	57	6
3	बिहार	134	26
4	चंडीगढ़	4	0
5	छत्तीसगढ़	60	7
6	दिल्ली	134	34
7	गोवा	29	1
8	गुजरात	108	21
9	हरियाणा	50	6
10	हिमाचल प्रदेश	7	4
11	जम्मू और कश्मीर	0	1
12	झारखंड	114	15
13	कर्नाटक	252	23
14	केरल	129	16
15	मध्य प्रदेश	170	35
16	महाराष्ट्र	711	142
17	मणिपुर	12	8
18	मेघालय	9	1
19	मिजोरम	25	4
20	नगालैंड	18	9
21	ओडिशा	202	48
22	पुडुचेरी	16	5
23	पंजाब	61	24
24	राजस्थान	142	8
25	तमिलनाडु	196	23
26	तेलंगाना	149	42
27	त्रिपुरा	22	4
28	उत्तर प्रदेश	126	26
29	उत्तराखंड	9	6
30	पश्चिम बंगाल	203	20
...	**कुल**	**3210**	**578**

4.3 वर्ष 2016–17 हेतू देश–वार दत्तक ग्रहण डाटा (भारतीय बच्चों का अतंरदेशीय दत्तक ग्रहण) का विवरण निम्नानुसार है–

कम. सं.	देश का नाम	2016–17
1	ऑस्ट्रेलिया	2
2	ऑस्ट्रिया	2
3	बेल्जियम	8
4	कनाडा	35
5	डेनमार्क	6
6	फिनलैंड	4
7	फ्रांस	27
8	जर्मनी	3
9	हॉगकॉग	3
10	इंडोनेशिया	1
11	इटली	113
12	माल्टा	16
13	मॉरीशस	1
14	न्यूजीलैंड	11
15	सिंगापुर	5
16	दक्षिण अफ्रीका	3
17	स्पेन	61
18	श्रीलंका	2
19	स्वीडन	13
20	स्विट्जरलैंड	1
21	यूएई	29
22	यू.के.	18
23	अमेरीका	213
24	वियतनाम	1
---	**कुल**	**578**

अध्याय : 5

अनुलग्नक

5.1 अनुलग्नक – कः राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएए) की राज्य–वार सूची इस प्रकार है–

क्र. सं.	राज्य /यूटी	संबंधित सारा	संपर्क विवरण
1	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण , ओ/ओ महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार, तृतीय मंजिल, स्वर्ण जंयती परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश सहायक निदेशक (प्रोग्रामर) मोबाईल–0993332293 कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 8121034803 दूरभाष : 040–23730520, 23732587, 23733221 एक्सटेंशन : 238 दत्तक प्रभाग एक्सटेंशन नं : 222 फैक्स : 040–23730520 ईमेल : adoptionandhra@gmail.com
2	असम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ/ओ राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, असम सरकार, प्रथम मंजिल, हाउस नं. 46, सर्वे बस स्टाप, बेलटोला गुवाहाटी– 28, असम	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09864483226 दूरभाष : 0361–2229275, 2265389 टेलीफैक्स : 0361–2229275 ईमेल : scpsassam@gmail.com sarascps10@gmail.com, dcpukammet@gmail.com
3	बिहार	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण दूसरी मंजिल, अपना घर, पुनाईचक, बेली रोड, पटना–800023, बिहार	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–09955404688 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल –09122881310 कार्यक्रम सहायक मेबाइल – 09308784953 टेली –0612–2545033 ईमेल –biharsara@gmail.com; brajesh1098@gmail.com

4	चण्डीगढ़	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण संघ राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, वाटिका स्कूल के पास, सैक्टर–19 बी, चण्डीगढ़	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल –08146844121 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09780820901 टेली– 0172–2548000 ईमेल –ipo.utcps@gmail.com, posara.icps@gmail.com
5	छत्तीसगढ़	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ/ओ महिला व विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ इंदिरावती भवन, ब्लाक–क, दूसरी मंजिल, एचओडी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ– 492001	संयुक्त निदेशक (सीडब्ल्यू) मोबाइल– 09424213430 प्रोग्राम प्रबंधक मोबाइल–07587762307, 07999822455 टेलीफैक्स – 0771–2220006 ईमेल – urmimalasengupta@gmail.com
6	दादर नागर हवेली	राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) दादर और नागर हवेली प्रशासन, सामाजिक कल्याण विभाग, ब्लाक–4, पीडब्ल्यूडी कैंपस, सिल्वासा–396230, दादर नागर हवेली	प्रोग्राम प्रबंधक मोबाइल– 09427154262 ईमेल– dnhsara@gmail.com, prashantbadre100@ gmail.com
7	दिल्ली	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ/ओ महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली की एनसीटी सरकार, 1, कैनिंग लेन कस्तूरबा, गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल 09873772311 टेली – 011–23073416, 23073459 (आईसीपीएस) ईमेल – saraarcdelhi@gmail.com

8	दमन और द्वीप	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) दमन और द्वीप संघ राज्य क्षेत्र बाल संरक्षण संघ डी–1 / 4, सरकारी आवास, एनआर, कलेक्ट्र, ढोलर मोती, दमन –396220	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल – 07698404662 टेली – 0260–2230085 फैक्स–0260–2230854 ईमेल –icpsswd@gmail.com
9	गोवा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, द्वितीय तल, 18 जून रोड, पणजी, गोवा –403001	परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यालय) टेली – 0832–22355308, 2426112 फैक्स – 0832–2424238 ईमेल–dir-wcd.goa@nic.in
10	गुजरात	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, गुजरात सरकार, ब्लाक – 19 तृतीय तल, डॉ जीवराज मेहता भवन, सेक्टर – 10 ए, गांधीनगर, गुजरात – 382010	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल – 09737615383 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल–09428606094 टेली – 079–23242521 / 22 / 23 फैक्स –079–23242522 ईमेल – gujarat.icps@gmail.com, sara.gujarat@gmail.com, chiefsecretary@gujarat.gov.in
11	हरियाणा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग बेयस नं 15–20, सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा	कार्यक्रम प्रबंधक ईमेल– shashins@gmail.com
12	हिमाचल प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, सेडर भवन, हिमलैंड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001	कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाष–0177–2629731 फैक्स–0177–2629731ए

13	झारखंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, झारखंड सरकार, इंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सै. क्टर– 3, ध्रूवा, रांची – 4, झारखंड	कार्यक्रम अधिकारी, दूरभाष–0651–6573272 इमेल– sara.jharkhand@rediffmail.com
14	कर्नाटक	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय कर्नाटक सरकार, प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग, डॉ अंबेडकर वीधी रोड, बैंगलुरू, कर्नाटक– 560001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–09886474749 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09008961187, 08217472229 दूरभाष–080–22879381, 22879382, 22353776 फैक्स–080–22353777 ईमेल– dirwcd@kar.nic.in jdpdm.dwcd@gmail.com icpssarakar@gmail.com
15	केरल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल सा. ंइसेस राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल सा. ंइसेस राजगिरि पीओ, कालामसेरी–683104 केरल	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–09747499612 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09446284712 दूरभाष–0484–2540727 फैक्स–0484–2532862 ईमेल– keralasara@gmail.com icpskerala@gmail.com
16	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं सशक्तीकरण निदेशालय, जवाहर भवन, जवाहर बाल भवन परिसर, दूसरा स्टॉप, तुलसी नगर, भोपाल–462001, मध्य प्रदेश	सहायक निदेशक (महिला एवं सशक्तिकरण) कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाष–0755–2551196 फैक्स–0755–2577122 ईमेल– icpsbhopal@gmail.com commwcd@map.nic.in
17	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास आयोग, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुराने सर्किट हाउस के निकट, पुणे– 411001 महाराष्ट्र	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–09594067999 दूरभाष–020–26360063

18	मणिपुर	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार निदेशालय परिसर, एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट), इंफाल, मणिपुर–795001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–08857877875 उप निदेशक (एसडब्ल्यू) मोबाइल– 08308662286
19	मेघालय	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार, लोवर लंचूमीचरी, हॉपकिंग्स रोड शिलांग–793001, मेघालय	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–09856925885 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल–8014138803 दूरभाष–0364–2501268 फैक्स–0364–2225978 ईमेल–sara.shillong@gmail.com
20	मेघालय	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण लालचूमा भवन समाज कल्याण विभाग निदेशालय के निकट, लपुतिलंग, ऑजवाल, मिजोरम– 796012	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09436190895 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09862329347 दूरभाष–0389–2306957 ईमेल– saramzr@ymail.com vanlaldini@yahoo.com
21.	नागालैंड	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ऑफिसर हिल्स, एस.पी कार्यालय के निकट, एयरस भवन, कोहिमा, नागालैंड–797001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09936282856, 08729880663 टैली फैक्स–0370.2242979 ईमेल– scpsnagaland@gmail.com renchumi@yahoo.com
22.	ओडिशा	राज्य दत्तक –ग्रहण संसाधन अभिकरण, आईएमएजीई परिसर, सीरीपुर स्केयर, एकक –8, खुर्दा, भुवनेश्वर–751003, ओडिशा	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09438350598 दूरभाष –0674–2562349 ईमेल– pm.sara.od@nic.in, suchetadas123@gmail.com tia.oscps@gmail.com

23.	पुदुचेरी	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सामाज कल्याण निदेशालय, पुदुचेरी सरकार, नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलईपिलई. चवेडी, पुदुचेरी –5	कार्यक्रम सहायक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बाल संरक्षण सोसाइटी मोबाइल– 09043707394, 09786444507 दूरभाष–0413–2205871, 2205871 फैक्स– 0413.2206762, 2200088 ईमेल– directorofsocialwelfare@yahoo.com dswicpspdy@gmail.com
24.	पंजाब	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. संख्या 102–103, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़–160022,	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09592104500 दूरभाष–0172–2608746, 2602726 फैक्स–0172–2664533 ईमेल– icps.punjab@gmail.com
25.	राजस्थान	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, राजस्थान सरकार, जी 3 / 1 ए, अम्बेडकर भवन (एक्सटेंशन), होटल राजमहल आवासीय क्षेत्र, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान	कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाष–0141–2226640, 02223387 टैलीफैक्स–0141–2399335 / 6 ईमेल– ccosjerajasthan@gmail.com
26.	सिक्किम	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम, 737101	कार्यक्रम प्रबंधक (एससीपीएस) मोबाइल– 09775466039 कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल–8768895427 सुरक्षा अधिकारी मोबाइल– 09083501548, 07001905395, 08250176425 दूरभाष–03592–202820038 फैक्स–03592–225682 ईमेल–icpssikkim@gmail.com, rahuldumi@gmail.com

27.	तमिलनाडु	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज कल्याण निदेशालय, तमिलनाडु सरकार, 58, अरुणाचलम स्ट्रीट, चिंदात्रिपेट, चेन्नई –600 032, तमिलनाडु	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09444784421 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 09043635121, 09894186755 दूरभाष–044.28455746 ईमेल– dswchennai@gmail.com
28.	तेलंगाना	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, आयुक्त कार्यालय तेलंगाना, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार, द्वितीय तल, स्वर्ण जयंती परिसर, मैथिरी वनम परिसर के पीछे, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, तेलंगाना	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09440814430 दूरभाष– 040–23733848, 23733665 ईमेल– tgwdcw@gmail.com tgadoption@gmail.com
29.	त्रिपुरा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज और शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, उजन अबहोग नगर, अगरतला, त्रिपुरा – 799005	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल– 09436483519 वरिष्ठ प्रबंधक (आईसीपीएस) मोबाइल– 08974061161 दूरभाष–0381–2326033 फैक्स– 0381–2323980 ईमेल– cw.dswe@gmail.com, dswe_agt@yahoo.com, dswepcell@gmail.com, chiranjit.utitsl@gmail.com
30.	उत्तरांचल	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल सरकार, नागेश्वती होम्योपैथिक अस्पताल आईएसबीटी रोड, रिसपाना पूल के निकट, देहरादून –248001, उत्तरांचल	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल– 9410722092 कार्यक्रम सहायक मोबाइल– 7830875537 दूरभाष–0135–2107009 फैक्स–0135–2656432 ईमेल–directorsocialwelfare@gmail.com ukchiefpo@gmail.com

31.	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला कल्याण निदेशालय, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आठवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ –226001, उत्तर प्रदेश	कार्यक्रम सहायक मोबाइल– 08795813206, 09005911964 दूरभाष– 0522–2286402 फैक्स– 0522–2286140, 2286451 ईमेल– upsara2015@gmail.com, directormahilakalyan@gmail.com, sudhiricps@gmail.com
32.	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, आईसीएमएआरडी भवन, नवां तल, ब्लॉक –14/2 सीआईटी स्कीम, उल्टादंगा, कोलकाता –700067 पश्चिम बंगाल	दूरभाष–033–23560351 फैक्स– 033–2337578 ईमेल–doption.sarawb@gmail.com

5.2 अनुलग्नक –ख : जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) और विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एसएए की राज्य –वार–सूची निम्नलिखित है–

क्र.म. सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयू की संख्या	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13	14
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2
3	असम	27	21
4	बिहार	38	17
5	चण्डीगढ़	1	1
6	छत्तीसगढ़	24	11
7	दिल्ली	11	11
8	गोवा	0	2
9	गुजरात	24	17
10	हरियाणा	10	3
11	हिमाचल प्रदेश	12	1
12	झारखंड	24	8
13	कर्नाटक	29	29
14	केरल	14	17
15	मध्य प्रदेश	41	36
16	महाराष्ट्र	36	61
17	मणिपुर	9	8
18	मेघालय	11	2
19	मिजोरम	8	7
20	नागालैंड	11	4
21	उड़ीसा	30	20
22	पोंडिचेरी	2	4
23	पंजाब	20	9
24	राजस्थान	33	36
25	सिक्किम	4	4
26	तमिलनाडु	15	16
27	तेलंगाना	10	11
28	त्रिपुरा	8	9
29	उत्तर प्रदेश	67	28
30	उत्तरांचल	13	7
31	पश्चिम बंगाल	19	22
	कुल	**564**	**438**

5.3 केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण/एमडब्ल्यूसीडी द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति, डीसीपीयू, कोर्ट द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र और परामर्श निम्नानुसार हैं –

लीना नायर
Leena Nair

सचिव
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
Secretary
Government of India
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Website : http://www.wcd.nic.in

सत्यमेव जयते

डी.ओ. नं. 18–2/2016/सीडब्ल्यू–II

दिनांक : 02.03.2017

मुख्य सचिव महोदय,

मैं आपका ध्यान किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, जो दिनांक 15 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम में आरोपित एवं कानूनी मामलों में पाए जाने वाले बच्चों तथा देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों पर बाल अधिकार, यूनाइटेड नेशन्स स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जूवेनाइल जस्टिस, 1985 (बिजिंग नियम), यूनाइटेड नेशन्स रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जूवेनाइल्स डीप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी (1990), अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉ–ऑपरेशन तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट्स पर कन्वेंशन में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखकर विस्तृत प्रावधान किया गया है।

2. यह अधिनियम बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर प्राथमिक रूप से परिवार आधारित देखभाल जैसे परिवार या अभिभावक से मिलाना, स्पॉन्सरशिप, पालन–पोषण संबंधी देखभाल, दत्तक ग्रहण, के माध्यम से बल देता है। 'अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत' की धारा 3 (xii) में विशेष रूप से यह कहा गया है कि उचित जांच–पड़ताल के बाद बच्चे को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाना चाहिए।

3. हालांकि, यह अवलोकन किया गया है कि गैर–संस्थागत देखभाल पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको हर्ष होगा कि अनाथ, परित्यक्त एवं आत्म–समर्पित बच्चों के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण हेतु एक उपाय के रूप में दत्तक ग्रहण सबसे बेहतर उपाय है।

4. लेकिन यह पाया गया है कि दत्तक ग्रहण हेतु केयरिंग में पंजीकृत बच्चे भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) से काफी कम है, जबकि उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्थान में वे बच्चे हैं जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वांछित अपेक्षाओं की तुलना में बच्चे को कानूनी रूप से मुक्त करने की घोषणा में देरी होने के कारण केयरिंग में पंजीकृत बच्चों में से दत्तक ग्रहण हेतु बहुत उपलब्ध बच्चों का आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। अवलोकन के अनुसार इसका कारण बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु बच्चे के कानूनी रूप से मुक्त होने की घोषणा में देरी करना है। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार दो वर्ष तक की आयु के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाने की तिथि से दो महीने के

भीतर कानूनी से मुक्त घोषित किया जाएगा तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाने की तिथि से चार महीने के भीतर कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी के साथ लंबित मामलों का ब्योरा अनुबंध I में संलग्न किया गया है।

5. कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कोर्ट आदेश जारी करने तथा अधिनियम एवं विनियमन में दिए गए अधिदेश के बाद आदेशों को जारी करने में देरी, दत्तक ग्रहण योजना में रुकावट के अन्य कारक है। अधिनियम की धारा 61(2) के अनुसार, मामला दर्ज करने की तिथि से 2 महीने के भीतर कोर्ट आदेश जारी हो जाना चाहिए। यथा दिनांक तक राज्य के विभिन्न कोर्ट में 2 महीने की निर्धारित समय सीमा से परे की 1 दत्तक ग्रहण याचिका लंबित है। उक्त का ब्योरा अनुबंध II में संलग्न किया गया है।

6. इस प्रकार, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जिला प्राधिकरण को निर्देशित करें कि वे परिवार आधारित/गैर–संस्थागत देखभाल के माध्यम से बच्चे के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की प्रगति पर जिला न्यायाधीश के साथ अपनी बैठक में निगरानी करें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27 (8) के अधिदेश अनुसार सीडब्ल्यूसी के कार्यों की तथा दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 34 के अनुसार जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) के कार्यों की भी निगरानी की जानी चाहिए।

7. राज्य सरकार तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (एसएआरए) यह सुनिश्चित करे कि वे दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 33 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारणों तथा बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के उपायों पर सक्रिय निगरानी करने की जरूरत है। इस प्रभाव से, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के माध्यम से एक तिमाही रिपोर्ट इस मंत्रालय को भी भेजें।

भवदीय,

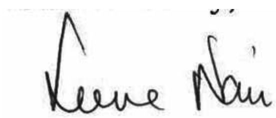

(लीना नायर)

श्री मनोज परिदा
मुख्य सचिव,
पुडुचेरी सरकार,
पुडुचेरी – 605001

रश्मि एस॰ साहनी
संयुक्त सचिव
Rashmi Saxena Sahni
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001 (INDIA)
Ph. : 9[illegible] 6th Jan, 2017
Fax : 91-11-23388612
E-mail : sahni.rashmi@gov.in

डी.ओ. नं. 34–7 / 2015 / आरएम / कारा

06 जनवरी, 2017

महोदया / महोदय,

यह पत्र दिनांक 07 मार्च, 2016, 28 मार्च, 2016 तथा 05 दिसम्बर, 2016 के पूर्व पत्रों से संबंधित है जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत के सीसीआई / होम्स की मैपिंग तथा ऐसे सीसीआई / होम्स के अंदर पाए गए अनाथ / परित्यक्त / आत्म–समर्पित बच्चों को गैर–संस्थागत देखभाल तंत्र विशेषकर दत्तक ग्रहण से जोड़ने के बारे में है। यहां यह उललिखित किया जाता है कि प्रक्रिया / कार्रवाई करने वाले समीक्षा दलों में जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।

2. जैसा कि आपको विदित है, किशोर न्याय (बाल देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015 इस प्रस्तावना पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को 'परिवार का अधिकार' है और विभिन्न गैर–संस्थागत देखभाल तंत्र यानी दत्तक ग्रहण, पालन–पोषण संबंधी देखभाल, सभी बच्चों विशेषकर अनाथ / परित्यक्त / आत्म–समर्पित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप प्रदान करता है।

3. चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन ने आपके राज्य को होम्स / सीसीआई तथा बच्चों के निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए है जो कि संलग्न है।

4. आपसे अनुरोध है कि कार्रवाई के अनुवर्तन के रूप में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा / या जिला बाल देखभाल एकक के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नलिखित कार्रवाई करें:

– चिह्नांकित होम्स / सीसीआई का संलग्न सूची के अनुसार दौरा करने को निर्देशित करना
– जांच गए प्रत्येक अनाथ / परित्यक्त / आत्म–समर्पित बच्चों का ब्योरा प्राप्त करना
– इन बच्चों को पुनर्वास हेतु उपयुक्त गैर–संस्थागत देखभाल से जोड़ना
– इन बाल देखभाल संस्थानों को अपने जिले के विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरणों से जोड़ना

5. जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से आंकड़ों के सत्यापन के बाद पाए गए अंगीकार्य बच्चों तथा बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए जा रहे दत्तक ग्रहण अंगीकार्य बच्चों के मामले में, केयरिंग (बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली) में जिला बाल संरक्षण एकक द्वारा बच्चे के संबंध में जानकारी पंजीकृत करें। अनाथ बच्चे जिनके पास बड़ा परिवार या अन्य जीवित अभिभावक है उन्हें प्राथमिकता से स्पॉन्सरशिप या पालन–पोषण संबंधी देखभाल से जोड़े।

6. यदि आप मैपिंग आंकड़ो की वैधता की पुष्टि करती कार्रवाई रिपोर्ट यथाशीघ्र मंत्रालय को प्रस्तुत कर पाएं तो मैं आपकी आभारी रहूंगी।

भवदीय,

(रश्मि सक्सेना साहनी)

सेवा में,
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के सभी प्रधान सचिव

रश्मि एस॰ साहनी
संयुक्त सचिव
Rashmi Saxena Sahni
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001 (INDIA)
Ph. : 91-11-23388576
Fax : 91-11-23388612
E-mail : sahni.rashmi@gov.in

डी.ओ. नं. 11/13/2015–सीडब्ल्यू–II

दिनांक 10 मार्च, 2017

महोदया/महोदय,

यह पत्र हमारे दिनांक 07 मार्च, 2016, 28 मार्च, 2016, 05 दिसम्बर, 2016 तथा 06 जनवरी, 2017 के पूर्व पत्रों के संदर्भ में है जो चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा एक समीक्षा दल के माध्यम से पूरे देश में सीसीआई/होम्स की मैपिंग करने से संबंधित है जिसमें जिला प्रशासन का भी एक प्रतिनिधि शामिल है।

2. चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन ने मैपिंग प्रक्रिया की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में उपलब्ध अनाथ/परित्यक्त/आत्म–समर्पित बच्चों का ब्योरा शामिल है जिन्हें विभिन्न गैर–संस्थागत देखभाल तंत्र यानी दत्तक ग्रहण, पालन–पोषण संबंधी देखभाल, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप हेतु रखा जा सकता है। राज्य के सभी बाल देखभाल संस्थानों में पाए गए ऐसे बच्चों का ब्योरा आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से मैपिंग प्रक्रिया पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें तथा तदनुसार निम्नलिखित कदम उठाएंः

- सीसीआई तथा अनाथ/परित्यक्त/आत्म–समर्पित बच्चों से संबंधित आंकड़ों की वैधता की पुष्टि करना
- अनाथ/परित्यक्त/आत्म–समर्पित बच्चों को पुनर्वास हेतु उपयुक्त गैर–संस्थागत देखभाल से जोड़ना
- बाल देखभाल संस्थानों को नजदीकी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों से जोड़ना

4. मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कार्रवाई रिपोर्ट साझा करें जिसमें मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए आंकड़ों की वैधता की पुष्टि की गई हो ताकि आपके राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में सभी अनाथ/परित्यक्त/आत्म–समर्पित बच्चों को पारिवारिक माहौल प्रदान किया जा सके। यदि आप यथाशीघ्र मंत्रालय को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाएं तो मैं आपकी आभारी रहूंगी।

भवदीय,

(रश्मि सक्सेना साहनी)

अनुलग्नकः यथोपरि
सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

सत्यमेव जयते

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

एफ नं. कारा/टीसी014/2/2017–डीडी (बीकेएस) दिनांक 28.03.2017

डॉ. अक्षय कुमार मिश्रा,
एलडी. रजिस्ट्रार जनरल,
उड़ीसा हाई कोर्ट,
चांदनी चौक,
कटक

विषय : ओडिशा में संबंधित कोर्ट के समक्ष दो महीने से ज्यादा समय से लंबित दत्तक ग्रहण मामलों हेतु यथाशीघ्र समाधान प्राप्त करने हेतु अनुरोध

महोदय,

1. दत्तक ग्रहण से संबंधित लंबित कोर्ट मामलों के संबंध में मुझे विचार–विमर्श का अवसर देने के लिए मैं आपका और आपके साथ लॉर्डशिप, माननीय (श्री) न्यायाधीश विनीत सरन, उड़ीसा हाई कोर्ट के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश का आभारी हूं।

2. दिनांक 06.03.2017 (दोपहर) को आपके चैम्बर में आपके साथ की गई बैठक के दौरान, मैंने आपका ध्यान राज्य के विभिन्न कोर्ट के समक्ष लंबित दत्तक ग्रहण मामलों की ओर आकृष्ट किया था। कुछ स्थानों पर, जैसे कटक, क्योंझर, राउरकेला, कंधमाल, फूलबनी में दत्तक ग्रहण मामले तब से लंबित पड़े है जब एलडी. मुख्य न्यायाधीश ऐसे जिलों/स्थानों में फैमिली कोर्ट के पद पर आसीन भी नहीं थे।

3. जैसा कि आपको विदित है, यदि संबंधित न्यायाधीश एक महीने से ज्यादा समय के लिए अपने पद पर नहीं है (जेजे मॉडल नियम, 2016 के नियम 46 (1) के अनुसार) तो संबंधित कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को लंबित मामलों का निराकरण करना चाहिए। हालांकि, चूंकि ओडिशा के फैमिली कोर्ट में केवल एक ही न्यायाधीश है, तो ऐसे कोर्ट में पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उक्त कोर्ट में लंबित मामलों से निराकरण के लिए कोई और विकल्प नहीं है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ फैमिली कोर्ट में लंबे समय से कुछ मामले लंबित हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया यथाशीघ्र निराकरण करने के लिए हाई कोर्ट ऐसे मामलों को उस जिले के एलडी. जिला न्यायाधीश के कोर्ट को निर्दिष्ट करें (यदि संबंधित जिले के फैमिली कोर्ट में नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति/ कार्य ग्रहण की कोई संभावना न हो), चूंकि दत्तक ग्रहण के मामलों में ''कोर्ट'' में जिला कोर्ट, फैमिली कोर्ट तथा नगर सिविल कोर्ट शामिल है (जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2 (23) के अनुसार)।

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

5. यदि राउरकेला के फैमिली कोर्ट में एलडी. न्यायाधीश की तैनाती में अभी और समय लगेगा तो राउरकेला के दत्तक ग्रहण मामलों को भी राउरकेला के एलडी. एडीजे या एलडी. जिला न्यायाधीश, सुंदरगढ़ को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह उल्लिखित किया जाता है कि उड़ीसा सिविल कोर्ट अधिनियम (धारा 7) के अनुसार, एलडी. एडीजे को भी दत्तक ग्रहण मामलों को स्वीकार करने, सुनने तथा फैसला देने का अधिकार है।

6. आशा है कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।

भवदीय,

Deepak

(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं सीईओ

अध्याय : 6

2016–17 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े

वर्ष 2016–17 हेतू
(31 मार्च, 2017 को समाप्त)
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
नई दिल्ली
के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट

ए.एम.जी-III/4-84/एस.ए.आर/सी.ए.आर.ए./2017-18/1392

SPEED POST

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

सत्यमेव जयते

संजीव कुमार
निदेशक (ए.एम.जी.-III)

9 NOV 2017

दिनांक:08.11.2017

प्रिय महोदय,

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गयी है तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी.-III/4-84/एस.ए.आर./सी.ए.आर.ए./2017-18/1390 दिनांक 08.11.2017 को जारी कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियाँ ध्यान में आई हैं, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है। इन विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अत: इन पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन विसंगतियों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

सादर

आपका शुभेच्छु
संजीव

संलग्नक: उपरोक्त

कर्नल दीपक कुमार
सदस्य सचिव एवं सी. ई. ओ. ,
केन्द्रीय दतक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम,
दिल्ली -110066.

13 Nov 2017
Accts Officer

Telephone : 91-11-23454100, Fax : 91-11-23702271 e-mail : dgacr@cag.gov.in

अनुलग्नक

(दिनांक 08.11.2017 की पत्र सं. एएमजी ࣿ4–8 / एसएआर / कारा / 2017–18 / 1390)

1. वर्तमान देयतायें और प्रावधान (अनुसूची–7)–265.87 लाख

उपरोक्त में कारा की देयताओं में 33,620 रूपये टेरे देस होमेमेस (लाउसेने) और 33,641 रूपये द बार्कर फाउंडेशन (यूएसएसए) को दिया गया दर्शाया गया है। चूंकि इन संस्थाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया है परुन्तु व्यय की वापसी इन संस्थाओं के नाम पर दर्ज है, राशि को कारा की आय के रूप में लिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप देयताओं को अधिक तथा आय को कम दर्शाया गया इसकी और पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा में भी इंगित किया गया था परन्तु कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

2. कारा को 2007–08 में अपने कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वापसी के लिए 23,167 रूपये प्राप्त हुये। हालांकि, प्राप्तियां, चिकित्सा व्ययों के कारण व्यय के लिए कटौती की गई थी। चूंकि राशि पहले ही 2007–08 के दौरान व्यय के रूप में दर्ज की गई थी, , इस लेखा वर्ष में प्रतिदाय आय के रूप में लिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि की आय के साथ–साथ व्यय की राशि में भी बदलाव हुआ।

3. उसी प्रकार, कर्मचारी के संबंध में 69,613 रुपये की रकम वेतन अंशदान के लिए प्राप्त किया गया था। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने अवकाश वेतन के कारण खर्च के खिलाफ इस रसीद को समायोजित किया जिसके परिणामस्वरूप देनदारी के महत्व और वह साथ ही राशि की व्यय के अनुसार है ।

4. वर्ष 2012–13 के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर एवं जुड़नार खरीदा गया लेकित मद–वार ब्यौरा नहीं रखा गया। ब्यौरे के अभाव में, इन परिसंपत्तियों की वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इसका पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित ळें

5. अनुसूची 11 में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि में 968.11 लाख की राशि बाहरी एजेंसियों को 31.3.2017 के रूप में बकाया अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। यह अग्रिम अनुसार बहुत पुरानी अवधियों से संबंधित है जिसका विवरण इस प्रकार है–

राशि रूपयों में

दिया गया अग्रिम	अथशेष	वित्तीय अवधि में दिया गया अग्रिम	स मायोजित अग्रिम	31 मार्च तक बकाया	प्रयोजन
एनआईसी	47.93	-	-	47.93	ऑनलाइन पोटर्ल और रख–रखाव और जनशक्ति की आपूर्ति
एनआईसीएसआई	58.33	14.69	-	73.02	
सीपीडब्ल्यूडी	82.17	7.68	-	89.85	कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव
डीएवीपी	330.54	464.00	200.00	594.54	प्रकाशन और पब्लिसिटी
एनएफडीसी	223.45	56.19	160.62	119.02	प्रकाशन और पब्लिसिटी
डीजीएस और डी	0.65	-	0.01	0.64	कंप्यूटर की खरीद
विभिन्न गैर सरकारी संस्थान	51.42	28.29	36.60	43.11	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम
कुल				**968.11**	

लेखा परीक्षा में देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बहुत से कार्य जिनके लिए अग्रिम दिया गया था– जैसे कार्यालय की मरम्मत एवं रख–रखाव पूरे किये गये। हालांकि, समायोजित बिलों के अभाव में कारा ने न तो व्यय (राजस्व व्यय) और न ही इस अग्रिम से बनी परिसंपत्तियों के पूंजी (पूंजी व्यय) को दर्ज किया। इसे पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी दिया गया था परंतु कोई भी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

By: SPEED POST

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110002
दूरभाष/**Phone: 011-23454329** फैक्स/**Fax 23702271** ईमेल / **Email: amg3hq@gmail.com**

संख्या/No. AMG-III/4-84/SAR/CARA/2017-18/1389 **दिनांक/Dated:** 08.11.2017

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

विषय: वर्ष 2016-2017 के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन |

महोदय / महोदया

मैं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करता हूँ |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए | कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए |

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है | पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है | यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा |"

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि |

हस्ता/-
निदेशक (ए.एम.जी.-III)

13/XI/2017
JD
Accts Officer

9 NOV 2017

By: SPEED POST

संख्या/No. AMG-III/4-84/SAR/CARA/2017-18/1390 **दिनांक/Dated** 08.11.2017

प्रतिलिपि: कर्नल दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं सी॰ ई॰ ओ॰, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम दिल्ली-110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

अनुलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

31 मार्च, 2017 की अवधि के लिए केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के 31 मार्च, 2017 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एंव व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धितयों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई है कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमित्ता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में रूढ़ लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परिक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनायें गए लेखाकंन सिद्धांतो और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते है कि :

i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों की प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारुप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारे विचार से, प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉडों का रख–रखाव उपयुक्त रूप में किया जाता है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv) हमें यह भी रिपोर्ट करते है।

क) तुलन पत्र

क.1 देनदारियां

क.1.1 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनूसूची–7)– 265.87 लाख

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने 76.97 लाख (आय और व्यय खाते) के बदले 79.76 लाख रूपये का अव्ययित शेष दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप यह 2.79 लाख रूपये की अधिकतम वर्तमान देनदारियां दर्शाता है और राशि की पूंजी विवरण में कमी है ।

ख. प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां और भुगतान लेखों मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को दर्शाया गया, जो वास्तव में इन लेखों के लेजर अब शेष (प्राप्तियों वाला भाग) और अंत शेष (भुगतान वाला भाग) से संबंधित नहीं थे।

प्राप्तियां			
	योजना	गैर–योजना	कुल
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव	7,82,36,647	19,75,215	8,02,11,862
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन **क1**	.	72,36,709	72,36,709
ख निधि (अन्य निवेश) पर निवेश से आय	**7,82,36,647**	**92,11,924**	**8,74,48,571**
भुगतान			
ऋण और अग्रिम–अन्य	9,60,23,093	29,09,697	9,89,33,790
ख निधि से किया गया निवेश ओर जमा	.	76,45,687	76,45,687
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव **क2**	9,60,23,093	1,05,55,384	10,65,78,477

हालांकि (i) ट्रायल शेष और (ii) निवेश रजिस्ट्रर (एफडीआर) के अनुसार इन दो प्रविष्टियों का वास्तविक मूल्य नीचे दिया गया है–

प्राप्तियां			
	योजना	गैर–योजना	कुल
पिछले वर्ष के अग्रिमों का समायोजन **क1**	4,02,73,129	9,84,215	4,12,57,344
निधि (अन्य निवेश) पर निवेश से आय	.	29,66,161	29,66,161
प्राप्तियों वाले भाग पर कुल प्रभाव ख1	**4,02,73,129**	**39,50,376**	**4,42,23,505**
प्राप्ति एवं भुगतान खातों में ली गई राशि	**7,82,36,647**	**92,11,924**	**8,74,48,571**
प्राप्तियों की अधिकता **क1–ख1**	**3,79,63,518**	**52,61,548**	**4,32,25,066**
भुगतान			
ऋण और अग्रिम	5,80,59,575	19,18,697	5,99,78ए272
ख निधि से किया गया निवेश और जमा	.	33,75ख139	33ए75ए139
भुगतान वाले भाग पर कुल प्रभाव ख2	**5,80,59,575**	**52,93,836**	**6,33,53,411**
प्राप्ति एवं भुगतान खातों में ली गई राशि **क2**	**9,60,23,093**	**1,05,55,384**	**10,65,78,477**
भुगतान में अधिकता **क2–ख2**	**3,79,63,518**	**52,61,548**	**4,32,25,066**

अत; अंतिम लेखों में प्राप्तियां और भुगतान दोनों 432.25 लाख रूपयों को अधिक दर्शाया गया।

ग. सामान्य

ग.1 रसीदों और भुगतान खातों में, सिंडिकेट बैंक खाते (योजना निधि हेतू) का पिछले साल का आरंभिक बकाया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (योजना निधि हेतू) के तहत खोलने की शेष राशि के तहत और इसके विपरीत दिखाया गया है।

ग.2 वेतन का संचय आधार के बजाय नकद आधार पर किया गया है।

ग.3 2016–17 के खातों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में अन्य विसंगतियाँ निम्नानुसार हैं–

क. अनुसूची –21 (अन्य प्रशासनिक व्यय) के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा खर्च पर खर्च किए गए 1,10,017 रुपये का व्यय, उसी कार्यक्रम के तहत विज्ञापन और प्रचार प्रमुख के तहत वर्गीकृत होने मे चूक गया है। इसके अलावा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने कोई यात्रा भत्ते के रिकॉर्ड हेतू कोई रजिस्टर भी नहीं बना रखा है।

ख. अनुसूची –1 में, शब्द (आय और व्यय खातों) को जोडने या घटाने के बाद ही रखा जाना चाहिए–शुद्ध आय का बकाया/(व्यय) को स्थानांतरित किया जाएगा। इस नामकरण के तहत कुल योजना और गैर–योजना प्रविष्टियां नहीं दिखायी गईं, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची –1 के तुलन पत्र में इस प्रविष्टि को साथ मिलाया गया है। इसके अलावा, पिछले वर्ष से संबंधित प्रविष्टियां सही नामकरण के तहत नहीं दिखाई गई थीं।

ग. अनुसूची–7 ए – वर्तमान देनदारियां कुछ प्रविष्टियां अर्थात सुश्री सरन्या पीएसएस, सुश्री उषा मल्होत्रा, श्री विजय सिंह को कुल (योजना और गैर–योजना) में नहीं दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में तुलन पत्र में संबंधित प्रविष्टियों के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से संबंधित प्रविष्टियां सही नामकरण के तहत नहीं दिखाई गई थीं।

घ. इसी प्रकार अनुसूची 21 के अंतर्गत, अन्य प्रशासनिक व्यय, कुछ प्रविष्टियां जैसे इंटरनेट लीज लाइन व्यय, केयरिंग्स व्यय) जो कि दुबारा से आय और व्यय खाते में संबंधित प्रविष्टियों के साथ मेल खाने वाले इस कार्यक्रम का पूरा नतीजा न हो। इसके अतिरिक्त, पिछले साल हेतू 68.43 लाख रुपये का प्रविष्टि गलती से दोहराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम की कुल अवधि (पिछले वर्ष के लिए) में आई/एसी खाते में संबंधित प्रविष्टियों में अंतर था। द वार्कर फाउंडेशन, यू.एस.ए., टेरे देस होम्मस।

घ. सहायता अनुदान

2016–17 की अवधि के दौरान कारा द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान व्यय और अव्ययित शेष का ब्यौरा निम्न है–

(रुपये लाख में)

विवरण	योजना	गैर योजना	कुल
प्राप्त अनुदान	507.24	238.99	746.23
पिछले वर्ष की अव्ययित राशि	53.57	6.99	60.56
कुल उपलब्ध निधि	560.81	245.98	806.79
व्यय	517.62	212.20	729.82
वर्ष के अंत तक अव्ययित राशि	43.19	33.78	76.97

अत; 31.03.2017 की लेखांकन अवधि के समाप्त होने तक, कारा का अंत शेष 76.97 लाख रूपये था।

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में टिप्पणिओं के अध्यधीन हम यह जानकारी देते है कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान लेखे पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते है जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप है।

क) जहां तक इसका संबंध 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

हस्त.
लेखापरीक्षा महानिदेशक
केंद्रीय व्यय

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक 08.11.2017

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2007–2008 से 2012–13 की अवधि के 6 लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया है।
- परिसंपत्तियों, पुस्तकालय को किताबों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं किया गया।
- वर्ष 2012–13 के दौरान, 32.51 लाख रूपये का फर्नीचर और जुड़नार खरीदा गया लेकिन मदवार ब्यौरा नहीं रखा गया ब्यौरे के अभाव में इन परिसंपत्तियों के वास्तविक मौजूदगी और भारित मूल्यह्रास की सटीकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।
- सामान्य भविष्य निधि में किया गया निवेश वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
- स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन और निवेश तुरन्त नहीं किया गया था।

उपरोक्त पर दृष्टि डालते हुए, यह आवश्यक है कि कारा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.10..2016 तक किया गया।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

- पुस्तकों का सत्यापन 28.11.2016 तक किया गया।
- लेखन समग्री तथा उपभोग्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन 31.03.2014 तक किया गया।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमित्ता

सांविधिक देनदारियों जैसे की आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में 31.03.2017 को 6 माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

CARA

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

पश्चिम ब्लाक–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (भारत),
फोन नं.ए 91.011.26180196 टोल फ्री–1800.11.1311 , टेलीफैक्स– 91.011.26180198

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

31 मार्च, 2017 तक का तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	102,414,526.00	(4,802,957.00)	97,611,569.00	82,910,900.00	(2,673,927.00)	80,236,973.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	-	-	-	-	-	-
चिह्नित/अक्षय निधि	3						
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4						
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5						
विलंबित ऋण देयताएं	6						
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	5,123,836.00	21,463,697.00	26,587,533.00	6,157,314.00	14,417,716.00	20,575,030.00
व्यय पर आय का आधिक्य							
कुल		**107,538,362.00**	**16,660,740.00**	**124,199,102.00**	**89,068,214.00**	**11,743,789.00**	**100,812,003.00**
परिसंपत्तियां							
अचल परिसंपत्तियां	8	7,194,011.00	467,036.00	7,661,047.00	5,474,467.00	698,500.00	6,172,967.00
चिह्नित/अक्षय निधि से निवेष	9						
निवेष – अन्य	10		7,645,687.00	7,645,687.00		7,236,709.00	7,236,709.00
मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	100,344,351.00	8,548,017.00	108,892,368.00	83,593,747.00	3,808,580.00	87,402,327.00
विविध व्यय							
(बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)							
कुल		**107,538,362.00**	**16,660,740.00**	**124,199,102.00**	**89,068,214.00**	**11,743,789.00**	**100,812,003.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
बिक्री/सेवाओं से आय	12						
अनुदानध्सहायिकी	13	48,484,134.00	20,926,733.00	69,410,867.00	11,863,650.00	6,806,734.00	18,670,384.00
षुल्क/अभिदान	14						
निवेष से आय (निवेष से आय चिह्नित/अक्षय निधि से)	15						
रॉयल्टी, प्रकाषन आदि से आय	16						
अर्जित ब्याज	17	753,552.00	733,624.00	1,487,176.00	321,697.00	544,671.00	866,368.00
अन्य आय	18		44,442.00	44,442.00	-	63,331.00	63,331.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19			-			-
और चालू कार्य				-			-
कुल (क)		**49,237,686.00**	**21,704,799.00**	**70,942,485.00**	**12,185,347.00**	**7,414,736.00**	**19,600,083.00**
व्यय							
स्थापना व्यय	20		19,323,284.00	19,323,284.00		3,526,674.00	3,526,674.00
अन्य प्रषासनिक व्यय	21	31,453,604.00	4,279,081.00	35,732,685.00	33,680,546.00	2,923,833.00	36,604,379.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22			-			-
ब्याज	23						
मूल्यह्रास (वर्ष कें अंत मे निवल योग – अनुसूची–8 के अनुरूप)		1,555,907.00	247,462.00	1,803,369.00	106,418.00	30,543.00	136,961.00
कुल (ख)		**33,009,511.00**	**23,849,827.00**	**56,859,338.00**	**33,786,964.00**	**6,481,050.00**	**40,268,014.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)		16,228,175.00	(2,145,028.00)	14,083,147.00	(21,601,617.00)	933,686.00	(20,667,931.00)
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण			-			-	-
पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य/(घाटा) के कारण शेष		16,228,175.00	(2,145,028.00)	14,083,147.00	(21,601,617.00)	933,686.00	(20,667,931.00)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां						
प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–यांजना	कुल	योजना	गैर–यांजना	कुल
(I)हाथ शेष :						
(क) हाथ रोकड़	9,664	4,799	14,463	7,250	8,118	15,368
(ख) बैंक में जमा राशि			-			-
(i) चालू खातों में (अव्ययित षंश)			-			-
(ii) जमा खातों में						-
(iii) बचत खाता (सिंडिकेट बैंक)	188,009	1,797,388	1,985,397	12,522,948	3,668,908	16,191,856
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	159,427		159,427	1,912,900		1,912,900
आईडीबीआई बैंक		31,178	31,178		30,565	30,565
पिछले वर्ष के अग्रिम का समायोजन	78,236,647	1,975,215	80,211,862	99,830,531	1,801,321	101,631,852
(II) प्राप्त अनुदान :						
(क) भारत सरकार से :–						
i) राजस्व व्यय	52,448,292	18,283,002	70,731,294		3,798,065	3,798,065
ii) पूंजीगत व्यय	3,275,451	15,998	3,291,449		1,935	1,935
(ख) राज्य सरकार से						-
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						-
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान						-
अलग से दर्शाया जाए)						-
(III) निवेश पर निम्नलिखित से आय :						-
(क) चिह्नित/ अक्षय निधि						-
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)		7,236,709	7,236,709		6,537,444	6,537,444
(IV) प्राप्त ब्याज :						-
(क) बैंक जमा रशि पर :						-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि						
(ग) बचत खाता	753,552	733,624	1,487,176	321,697	544,671	866,368
प्रोद्भूत ब्याज (वर्ष के दौरान)			-			-
(V) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
विविध : प्राप्तियां		44,092	44,092		63,331	63,331
अंतरराष्ट्रीय बैठक पंजीकरण शुल्क			-			-
अन्य आय			-			-
आरटीआई के लिए प्राप्ति		350	350		-	-
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट			-			-
(VI) उधार ली गई राशि :						-
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां						-
(ब्यौरा दें) :						-
प्रतिभूति जमा			-			-
एफएससी			-		-	-
कुल	**135,071,042**	**30,122,355**	**165,193,397**	**114,595,326**	**16,454,358**	**131,049,684**

भुगतान						
भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
(I) व्ययः						
(क) स्थापना व्यय		15,930,751	15,930,751		3,574,043	3,574,043
(ख) प्रषासनिक व्यय	31,451,240	3,581,902	35,033,142	33,779,231	1,833,091	35,612,322
(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान						-
(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किया गया भुगतान : (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम साथ में दर्षाया जाना चाहिए)						
(III) किया गया निवेश और जमा :						
(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से			-			
(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		7,645,687	7,645,687		7,236,709	7,236,709
(IV) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और चालू कार्य में पूंजी						
(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	3,275,451	15,998	3,291,449	2,222,348	1,935	2,224,283
(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
(V) ऋण और अग्रिम :						
(क) भारत सरकार को						
(ख) राज्य सरकार को						
(ग) अन्य को	96,023,093	2,909,697	98,932,790	78,236,647	1,975,215	80,211,862
(VI) वित्तीय प्रभार (ब्याज) :						
(VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) :						
(VIII) अंत शेष :						
(क) हाथ रोकड़	12,568	3,893	16,461	9,664	4,799	14,463
(ख) बैंक में जमा राशि :			-			
(i)चालू खातों में						
(ii) जमा खातों में						
(iii) बचत खातों में (यूबीआई)	4,067,814		4,067,814	159,427		159,427
आईडीबीआई		32,103	32,103		31,178	31,178
सिंडिकेट बैंक	240,876	2,324	243,200	188,009	1,797,388	1,985,397
कुल	**135,071,042**	**30,122,355**	**165,193,397**	**114,595,326**	**16,454,358**	**131,049,684**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 जनवरी, 2017 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 1 – पूंजीगत निधि :						
वर्ष के प्रारंभ में शेष	82,910,900.00	(2,673,927.00)	80,236,973.00	102,290,169.00	(3,609,548.00)	98,680,621.00
जोड़ें : कॉरपस /पूंजीगत निधि में अंषदान	3,275,451.00	15,998.00	3,291,449.00	2,222,348.00	1,935.00	2,224,283.00
जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन						
जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष/(व्यय)	16,228,175.00	(2,145,028.00)				-
घटाएं : अथ शेष						
आय एवं व्यय लेखा	-	-	-	(21,601,617.00)	933,686.00	(20,667,931.00)
घटाएं : रिजर्व एवं अधिषेश में अंतरित						-
वर्ष की समापति पर शेष	102,414,526.00	(4,802,957.00)	83,528,422.00	82,91x0,900.00	(2,673,927.00)	80,236,973.00
अनुसूची 2 – रिजर्व एंव अधिशेष :						
1. पूंजीगत रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-			-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राषि		-	-			-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
		-	-			
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :		-	-			
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राषि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
3. विषेश रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राषि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरा न कटौतियां		-	-		-	-
4. सामान्य रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राषि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
		-				
कुल	-	-		-	-	-

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च 2017 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
क. वर्तमान देयताएं						
अव्ययित सहायता अनुदान	4,321,258	3,655,191	7,976,449	5,357,100	698,922	6,056,022
व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	704,546	1,717,325	2,421,871	704,546	1,055,742	1,760,288
ईपीएफ संगठन		146,378	146,378		12,756	12,756
प्रतिभूति जमा		128,000	128,000			-
टीडीएस संविदाकार		9,893	9,893		10,945	10,945
टीडीएस व्यावसायिक/वेतन		101,733	101,733			-
टीडीएस किराया		7,800	7,800			
टेरेदेसहोमेमेस (लाउसेने)	33,620		33,620			-
द बार्कर फाउंडैषन यूएसए	33,641		33,641	33,620		33,620
अग्रिम जमा राषि		45,000	45,000	33,641	55,000	88,641
सुश्री सरनया, पीएसएस	2,364		2,364			-
सुश्री ऊशा मल्होत्रा		64,350	64,350			
श्री विजय		39,414	39,414			
टीए के लिए देय राषि	28,407		28,407	28,407	-	28,407
कुल क	**5,123,836**	**5,915,084**	**11,038,920**	**6,157,314.00**	**1,833,365**	**7,990,679**
ख प्रावधान						
1. कराधान के लिए						
2. उपदान	-	8,247,434	8,247,434	-	6,655,955	6,655,955
3. अधिवर्शिता/पेंषन						
4. संचित छुट्टी नकद भुगतान	-	7,301,179	7,301,179	-	5,928,396	5,928,396
5. व्यापार वारंटियां/दावे						
6.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
प्रशासन एवं स्थापना व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'घ')						-
व्यय हेतु प्रावधान						
कुल ख	**-**	**15,548,613**	**15,548,613**	**-**	**12,584,351**	**12,584,351**
कुल (क+ख)	**5,123,836**	**21,463,697**	**26,587,533**	**6,157,314**	**14,417,716**	**20,575,030**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

योजना

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक – क के अनुसार ब्यौरा **यथा दिनांक 31/03/2017 का**

(राशि रुपयों में)

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि ’	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पटटे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिसंरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मषीनरी_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	3,435,787	721,556	-	4,157,343	738,755	363,571	-	1,102,326	3,055,017	2,697,032
6. कार्यालय उपस्कर	633,376	757,181	-	1,390,557	20,886	182,618		203,504	1,187,053	612,490
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं_	3,577,047	1,796,714	-	5,373,761	1,412,102	1,009,718	-	2,421,820	2,951,941	2,164,945
8. विद्युत संस्थापना_	-		-	-	-		-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें			-	-		-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां_	-		-	-	-	-	-	-	-	-
				-						
कुल	**7,646,210**	**3,275,451**	**-**	**10,921,661**	**2,171,743**	**1,555,907**	**-**	**3,727,650**	**7,194,011**	**5,474,467**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									-	
कुल जोड़									**7,194,011**	**5,474,467**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

गैर–योजना

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक – ख के अनुसार ब्यौरा **यथा दिनांक 31/03/2017 तक**

(राशि रुपयों में)

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अं त तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवनः	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पटटे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिसंरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन_	510,421		-	510,421	359,792	26,611	-	386,403	124,018	150,629
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	963,985	15,998	-	979,983	451,582	196,306		647,888	332,095	512,403
6. कार्यालय उपस्कर	118,493			118,493	85,272	22,672		107,944	10,549	33,221
7. कम्प्यूटरध् कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं_	-			-	-			-	-	-
8. विद्युत संस्थापना_	52,675		7,154	45,521	50,428	1,873	7,154	45,147	374	2,247
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति_	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां_				-						
	1,645,574	15,998	7,154	1,654,418	947,074	247,462	7,154	1,187,382	467,036	698,500
कुल									-	
ख. पूंजीगत चालू कार्य	**1,645,574**	**15,998**	**7,154**	**1,654,418**	**947,074**	**247,462**	**7,154**	**1,187,382**	**467,036**	**698,500**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 तक की अवधि/ को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 9 – अभिनिर्धारितध्अक्षय निधियों से निवेश रू						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
कुल			-			-
अनुसूची 10 – निवेश – अन्य :						
1.सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर			-			-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है						
मियादी जमा (सिंडिकेट बैंक के पास)	-	7,645,687.00	7,645,687.00		7,236,709.00	7,236,709.00
कुल	-	7,645,687.00	7,645,687.00	-	7,236,709.00	7,236,709.00

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 जनवरी, 2017 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
अनुसूची 11 – चालू परिसंपततियां, ऋण, अग्रिम आदि	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
क. चालू परिसंपत्तियां :						
1. संपत्ति – सूची :						
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे		-			-	
ख) खुले औजार		-			-	
ग) स्थायी खजाना						
तैयार माल		-			-	
प्रगति में कार्य		-			-	
कच्चा माल		-	-		-	-
कुल						
2. विविध देनदार :						
क) छः माह से अधिक अवधि के ऋण						
ख) अन्य						-
3. हस्तगत बकाया रोकड़ (चौक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	12,568.00	3,893.00	16,461.00	9,664.00	4,799.00	14,463.00
4. बैंक में जमा राशि :						
क) अनुसूचित बैंकों में :						
' चालू खातों में						
' जमा खातों में (मार्जिन राषि सहित)						
' बचत खातों में	4,308,690.00	34,427.00	4,343,117.00	347,436.00	1,828,566.00	2,176,002.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में						
' चालू खातों में						
' जमा खातों में						
' बचत खातों में						
कुल						-
5. डाकघर– बचत खाते			-			-
कुल	**4,321,258.00**	**38,320.00**	**4,359,578.00**	**357,100.00**	**1,833,365.00**	**2,190,465.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 जनवरी, 2017 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 11–चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)						
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां						
1. ऋण :						
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')	68,000.00	130,164.00	198,164.00		168,700.00	168,700.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं						
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तू के रूप में प्राप्त किया जाना						
क) पूंजीगत खाते में						
ख) पूर्व भुगतान						
ग) अन्य :						
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	4,309,878.00	-	4,309,878.00	5,140,396.00	1,405.00	5,141,801.00
एनआईसी	4,793,083.00	-	4,793,083.00	4,793,083.00	-	4,793,083.00
के.लो.नि.वि.	7,738,957.00	1,246,215.00	8,985,172.00	6,970,717.00	1,246,215.00	8,216,932.00
अग्रिम वेतन (श्री दीपक कुमार– मुख्य कार्यकारी अधिकारी)		718,190.00	718,190.00			-
प्रतिभूति जमा (फोन)		245,350.00	245,350.00		143,000.00	143,000.00
डीएवीपी	59,454,073.00		59,454,073.00	33,054,073.00		33,054,073.00
घ) डाक–व्यय अग्रिम		27,344.00	27,344.00		26,458.00	26,458.00
एनआईसीएसआई	7,302,835.00		7,302,835.00	5,833,525.00		5,833,525.00
डी.जी.एस. एण्ड डी.	61,668.00	1,791.00	63,459.00	62,988.00	1,791.00	64,779.00
संपत्ति निदेशालय	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00
विदेशी अग्रिम यात्रा भत्ता	3,564.00	-	3,564.00		-	-
सीआईडीपीएचओ भोपाल			-		18,000.00	18,000.00
राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम	11,902,854.00		11,902,854.00	22,344,689.00		22,344,689.00
3. उपार्जित आय :						
क) निर्धारित/बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए						
ख) अन्य निवेषों से (एफडीआर)		489,766.00	489,766.00			-
ग) ऋणों एवं अग्रिम से						-
घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रूपये........– भी शामिल है	380,181.00	50,877.00	431,058.00	29,176.00	369,646.00	398,822.00
अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य		5,600,000.00	5,600,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
4. दावों को प्राप्त करने योग्य						
कुल (ख)	**96,023,093.00**	**8,509,697.00**	**104,532,790.00**	**83,236,647.00**	**1,975,215.00**	**85,211,862.00**
कुल (क+ख)	**100,344,351.00**	**8,548,017.00**	**108,892,368.00**	**83,593,747.00**	**3,808,580.00**	**87,402,327.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 12 – बिक्री और सेवाओं से आय :						
1) बिक्री से आय			-			-
क) तैयार माल की बिक्री			-			-
ख) कच्चे माल की बिक्री			-			-
ग) रद्दी माल की बिक्री			-			-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार			-			-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा			-			-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली			-			-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपतति)			-			-
ड़) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी	-					
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)						
जोड़ें:– प्रारंभिक अव्ययित अनुदान	5,357,100	698,922	6,056,022	14,443,098	3,707,591	18,150,689
1) केंद्र सरकार	50,723,743	23,899,000	74,622,743	5,000,000	3,800,000	8,800,000
घटाएं : 31/3/2014 को अव्ययित षेश	4,321,258	3,655,191	7,976,449	5,357,100	698,922	6,056,022
घटाएं : पूंजी निधि के स्थानांत्रित की गई राशि	3,275,451	15,998	3,291,449	2,222,348	1,935	2,224,283
2) राज्य सरकार (रें)						-
3) सरकारी अभिकरण						-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय						-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन						-
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						-
कुल	**48,484,134**	**20,926,733**	**69,410,867**	**11,863,650**	**6,806,734**	**18,670,384**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि						
1) रायल्टी से आय			-			-
2) प्रकाषन से आय			-			-
3)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल			-			-
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज						
1) मियादी जमा पर रू						
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)			-			-
ख) गैर–अनुसूचित बैंको से			-			-
ग) संस्थाओं से			-			-
घ) अन्य			-			-
2) बचत खातों पर :			-			-
क) अनुसूचित बैंको से	753,552	733,624	1,487,176	321,697	544,671	866,368
ख) गैर–अनुसूचित बैंको से						-
ग) संस्थाओं से						-
घ) अन्य						-
3) ऋणों पर :						-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-		-	-		-
ख) अन्य						-
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज						-
कुल	753,552	733,624	1,487,176	321,697	544,671	866,368

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 18 – अन्य आय :						
1)परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						-
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां						-
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						-
2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन						-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						
4) विविध आय		13,145	13,145	-		
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री						
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट						
आरटीआई शुल्क		350	350	-		
प्राप्त विदेशी अनुदान		30,947	30,947	-	63,331	63,331
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण षुल्क खाता)	-	-	-	-	-	
कुल	-	44,442	44,442	-	63,331	63,331
अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक एवं चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)						
क) अंत स्टॉक						
i) तैयार माल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
ख) घटाएं रू प्रारंभिक स्टॉक						
i) तैयार मल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
कुल						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय :						
क) वेतन और मजदूरी		13,279,047	13,279,047		2,625,091	2,625,091
			-		-	-
ख) भत्ते, बोनस और मानदेय		219,706	219,706			-
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		339,000	339,000		192,000	192,000
घ) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान			-			-
ड़) चिकित्सा व्यय		367,450	367,450		115,116	115,116
च) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय		180,806	180,806			-
छ) यूनीफार्म प्रभार			-			-
ज) भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान		1,142,226	1,142,226			-
झ) ईडीएलआई (पीएफ)		44,999	44,999			-
ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार		122,732	122,732			-
एफएससी			-		328,527	328,527
पट्टा किराया		683,260	683,260		133,216	133,216
ट) समायोपरि भत्ता			-			-
ग्रेच्युटी प्रावधान		1,591,479	1,591,479		132,724	132,724
संचित छुट्टी वेतन प्रावधान		1,352,579	1,352,579			-
कुल क+ख	-	19,323,284	19,323,284	-	3,526,674	3,526,674

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय						
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		31,302	31,302		13,852	13,852
कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव		104,620	104,620		14,661	14,661
वाहन किराया (कार)		1,033,911	1,033,911		366,643	366,643
डाक और तार प्रभार		110,429	110,429		32,501	32,501
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		94,873	94,873		436,893	436,893
लेखन सामग्री		253,774	253,774			
यात्रा व्यय		243,918	243,918		121,084	121,084
वाहन व्यय		42,700	42,700		7,229	7,229
बैठक व्यय		94,119	94,119		20,452	20,452
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी		123,451	123,451		5,541	5,541
बैंक प्रभार	1,848	1,205	3,053	994	700	1,694
कार्यालय व्यय		112,604	112,604		21,874	21,874
विज्ञापन एवं प्रचार	16,300,502		16,300,502	23,234,250		23,234,250
टेलीफोन प्रभार		355,939	355,939		130,874	130,874
वार्षिक बैठक व्यय			-			-
लेखापरीक्षा षुल्क		125,200	125,200		123,005	123,005
आतिथ्य		35,728	35,728		17,155	17,155
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		36,757	36,757			-
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय	5,743,839		5,743,839	1,776,451		1,776,451
जल एवं विद्युत प्रभार		52,140	52,140		16,440	16,440
सुरक्षा एवं सफाई व्यय		820,374	820,374		1,070,250	1,070,250
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	184,290	21,394	205,684		15,164	15,164
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री	7,337	3,593	10,930		25,515	25,515
परामर्श प्रभार	7,025,597		7,025,597	1,507,952		1,507,952
बैठक शुल्क		536,000	536,000		484,000	484,000
हिंदी पखवाड़ा व्यय		38,250	38,250			-
सम्मेलन एवं प्रदर्षनी व्यय			-			-
सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग व्यय			-	6,842,496		6,842,496
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव		6,800	6,800			-
निशुल्क हैल्पलाइन व्यय	980,317		980,317	203,311	-	203,311
निरीक्षण और निगरानी व्यय	258,122		258,122	115,092	-	115,092
इंटरनेट लिज लाइन शुल्क	270,566					-
केयरिंग्स षुल्क	607,099			6,842,496		6,842,496
शोध एवं मूल्यांकन व्यय	74,087		74,087		-	-
कुल जोड़	**31,453,604**	**4,279,081**	**34,855,020**	**40,523,042**	**2,923,833**	**43,446,875**

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक–8 विंग–2 दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची 24

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आधार –

1. **लेखांकन रीति –**

वित्तीय विवरण लेखांकन का उपर्जिन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. **सामान सूची का मूल्यांकन –**

भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. **निवेश –**

"दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4. **स्थायी परिसंपत्तियां**

4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आवक माल भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।

4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गईं स्थायी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।

5. **मूल्यह्रास निवेश –**

5.1 मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता है ।

क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपततियों में परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया जाता है।

ख. 5000/– रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपततियां पूर्णरूप से दी गई हैं।

ग. स्थायी परिसंपततियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के 5 प्रतिशत की दर पर किया गया है।

घ. यथा परिकलित कुल मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर है।

6. **सरकारी अनुदान सहायिकी –**

6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।

6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।

7. **पट्टा –**

पट्टा किराए की राशि पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

8. सेवानिवृत्ति लाभ –

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु सेवानिवृत्ति पर देय प्रावधान ग्रच्युटी की देयता बीमांकिक गणना के आधार पर उपार्जित की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इसका परिकलन बीमांकिक गणना आधार पर किया जाता है।

''''''''''''''''''''''''''

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक–8 विंग–2 दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लेखों से संबंधित अनुसूचियां

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां–

1 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।

2 प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।

3 आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

4 पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः वर्गीकृत/पुनर्योजित किया गया है।

5 अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2017 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं ।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम **अनुलग्नक –ख**

31.03.2017 तक की स्थिति

क्रम.सं.	गैर सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तिथि	राशि	
			गैर योजना	योजना
1	आईसीसीडब्लयू, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008		618,860
2	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, रायपुर	22.08.2008		138,811
3	यशोदा पुणे			55,000
4	निदेशक डब्ल्यूसीडी, रायपुर	03.06.2010		164,320
5	निदेशक डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ	18.06.2010		164,320
6	निदेशक डब्ल्यूसीडी,आंध्र प्रदेश	24.02.2011		248,808
7	निदेशक, समाज कल्याण, रांची	14.07.2011		92,336
8	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011		99,704
9	आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलुरू, कर्नाटक	20.10.2011		54,400
10	डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ़	10.3.2012		87,784
11	निदेशक समाज कल्याण विभाग रांची	5/29/2013		100,000
12	निदेशक डब्ल्यूसीडी बैंगलोर	26.06.2013		17
13	चेयरमैन, वीसीए, हैदराबाद	1.17.2014		36,585
15	निदेशक, समाज कल्याण विभाग यूपी (महिला कल्याण समिति)	18.09.2014		107,757
16	आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014		237,510
17	निदेशक समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण सोसायटी पश्चिम बंगाल	27.02.2015		84,460
18	निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015		109,592
19	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई)	7/4/2015		180,250
20	निदेशक, एसडब्ल्यू और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	12/10/2015		199,490
21	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एपी एसपीई महिला एवं बाल विजयवाडा	3/10/2016		179,632
22	कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसाइटी	5.10.2016		49,540
23	एनआईपीसीसीडी, लखनऊ	13.01.2017		410,896
24	निदेशक समाजिक न्याय, चेन्नई	15.3.2017		449,327
25	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, रायपुर	23.3.2017		440,579
	कुल		**-**	**4,309,978**

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम

कर्मचारी का नाम		बकाया राशि	बकाया राशि
		31.3.2017 तक की स्थिति	01.4.2016 तक की स्थिति
क	**त्यौहार अग्रिम**		
	श्री प्रमोद कूमार, डीईओ		2700
	श्री रितेश आहूजा, डीईओ		2,700
	श्री संजय कुमार, डीईओ		2,700
	श्री देवेंद्र कुमार, चपरासी		2,700
	श्री रवि रावत, डीईओ		2,700
	श्री विजय सिंह, स्टेनो		2,700
	श्री सी.एस भगता, एलडीसी		
	कुल		
ख	**कम्प्यूटर अग्रिम**		
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक		2,800
ग	**कार अग्रिम**		
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक	19,700	48,700
घ	**स्कूटर अग्रिम**		
	श्री विजय सिंह, स्टेनो	10,500	15,000
	श्री रितेष आहूजा, डीईओ	14,000	20,000
	श्री सी.एस भगता, एलडीसी	22,000	28,000
	श्री प्रमोद कुमार, डीईओ	15,000	30,000
	श्री रवि रावत, डीईओ		8,000
ड	**यात्रा भत्ता**		
	श्री बी.के साहू, उप निदेशक	48,964	
	कुल ख	**130,164**	**168,700**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**130,164**	**168,700**

अनुलग्नक ग

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतू प्रावधान

गैर योजना

विवरण	
एमएसीपी का बकाया वेतन	556107
सिटींग फीस शुल्क	288000
चिकित्सा व्यय	14642
कार किराये पर लेने हेतू शुल्क	94731.00
लेखा शुल्क	225205.00
लेखन सामग्री व्यय	44520.00
दूरभाष व्यय	21112.00
एफएससी	328527.00
सुरक्षा और सफाई प्रभार	144,481.00
कुल	**1,717,325.00**

31 मार्च 2017 तक व्यय हेतु प्रावधान

योजना

विवरण	
पिछले वर्ष का प्रावधान (बकाया)	704546.00
कुल	**704,546.00**

CARA

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
पश्चिमी खंड –8, विंग–2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
टोल फ्री नं. 1800–11–1311, फैक्स– 91–011–26180198
ईमेल– carahdesk.wcd@nic.in,
वेबसाइट– www.cara.nic.in

CARA

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development, Government of India

West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi-110 066
Toll Free : 1800-11-1311, Telefax : +91-11-26180198
E-mail : carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in